

यह विचार अभी तय नहीं हुआ है। आज किसान सड़को पर हैं। दिल्ली की सड़को पर हमारे मध्य प्रदेश का किसान प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं और यह सरकार निर्लज्जता के साथ पहले तो अस्वीकार करती है। उसके बाद कहती है कि हम विचार कर रहे हैं। 24 घंटे में इस सरकार के कृषि मंत्रालय में दो करवटें बदल ली जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। कृपा करें और 3 हजार करोड़ के खिलाफ यदि हमें 67 करोड़ मिलता है और यह सरकार सौ दिन सेलीब्रेट करने के बाद एक पैसा भी नहीं देती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके सम्पूर्ण संरक्षण की हमें आवश्यकता है और इस प्रार्थना के साथ इस सरकार से हस्तक्षेप, सहानुभूति और सक्षम कार्यवाही का आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सभापति जी, धन्यवाद

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने को सम्बद्ध करती हूँ।

Urgent Need to Attend-to problem of Child Labour in Orissa

SHRI SANATAN BISI (Orissa): I will take only one minute, Mr. Chairman.

Sir, this mention is regarding the problem of child labour in Orissa. A survey of child labour conducted by the State Department of Labour and Employment has identified 2.15 lakh child labour in Orissa; over 20,000 of them are in hazardous industries; and only 15,000 of the total child labour are registered with the National Child Labour Project. A majority of these children are occupied in beedi-rolling units and the construction sector. Under the national Child Labour Project schemes, children engaged in hazardous occupations are withdrawn and they are rehabilitated in special schools. The present maximum permissible expenditure per child per year is insufficient due to the rise in prices. Further more, The NCLP is at a standstill as the Central Government has not released the funds. The instructors and the other staff are not getting their salaries regularly as a result of which the schools are even closed. There should be a serious monitoring of the activities of the special schools. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now the House adjourns till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty

nine minutes past two of the clock

The Vice-Chairman (Shri Sanatan Bisi) in the Chair.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Re: Need to review the electoral system—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) We will now take up Private Members' Business (Resolutions) and continue the discussion on the Resolution moved by Shri Ramadas Agarwal. Shrimati Urmilaben Chimanbhai Patel — not here. Dr. Ranbir Singh — not here. Shri Raghavji.

माननीय श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्री रामदास अग्रवाल जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यह एक बहुत आवश्यक बिल प्रस्तुत किया है।

महोदय, चुनाव सुधार बीच-बीच में अवश्य होते रहे हैं, लेकिन जितने भी चुनाव सुधार हुए हैं वे वास्तव में आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हैं और इसलिए चुनाव सुधारों की आवश्यकता आज भी महसूस होती रही है। महोदय, हिंदुस्तान संसार का सब से बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हिंदुस्तान में सब से अधिक संख्या में मतदाता रहते हैं और लगातार 50 वर्षों से प्रजातंत्र इस देश में चल रहा है।

यह भी अपने में कोई कम उपलब्धि नहीं है। वर्तमान नियमों, कानूनों में अनेक त्रुटियाँ होने के बावजूद हमारा प्रजातंत्र चल रहा है, यह प्रजातंत्र पद्धति के लिए कम से कम एक शुभ बात है। अब तो इसमें तीन-चार सुधार होना चाहिए, जो जरूरी हैं। क्यों होना चाहिए, किन कारणों से इसकी आवश्यकता है, उसके बारे में रामदास जी ने अपने भाषण में काफी विस्तार से जिक्र किया है। आज चुनाव में बाहू-बल, धन-बल जाति बल का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके कारण से जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, जो प्रजातंत्र को मजबूत होता देखना चाहते हैं, उनको चिंता होती है और उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। जनता का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, जो प्रजातंत्र की मूलभूम भावनाओं की पूर्ति करने वाला हो, जनता की भावना ठीक प्रकार प्रतिबिंबित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि येन-केन प्रकारेण विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना कर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाए और फिर जनहित की उसे कोई चिंता न हो। ऐसा कई बार पचास वर्षों में देखने को मिलता है।

उपसभाध्यक्ष जी, जिन लोगों ने पूर्व में संविधान

बनाया, जन-प्रतिनिधित्व कानून बनाया, उनको हम कोई दोष नहीं दे सकते। उन्होंने तो सद्भावना के आधार पर सारी व्यवस्थाएं इनमें की थी, चाहे संविधान में व्यवस्था की हो या कानून में व्यवस्था की हो, लेकिन दुर्भाग्य से जिन सद्भावनाएं ठीक प्रकार से पूरी नहीं हो सकीं। इसके कारण आज हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो गईं। समस्याएं कई प्रकार की हैं। एक तो समस्या यह है कि ठीक प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, समस्या यह भी है कि अस्थिरता उत्पन्न हुई है, समस्या यह भी है कि चुनाव में खर्च बहुत होता है। यह जो मुख्य समस्याएं हैं, इससे प्रजातंत्र की मूल भावनाओं को कहीं न कहीं आघात पहुंचता है और इसलिए चुनाव कानूनों में सुधार की आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले जिस बात की ओर जोर देना चाहूंगा, वह यह है कि चुनी हुई सरकारें पूरे पांच वर्ष तक चलें। शुरु के दो शतक तक अर्थात् 1967 तक, इसको हम बीस वर्ष भी कह सकते हैं, जो भी चुनी हुई सरकारें बनीं उन्होंने बराबर लगातार पांच वर्ष तक कार्य किया, लेकिन वर्ष 1967 के बाद एक ऐसा क्रम चला कि जिसके कारण से जो भी संस्थाएं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, लोकसभा तो फिर भी पांच वर्ष तक चल गई, लेकिन 1967 के बाद जो विधानसभाएं चुनी गई उसमें से कई विधानसभाएं अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। अगर कुछ विधानसभाएं अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाईं तो एक दल की सरकार पूरे पांच वर्ष तक नहीं चल पाईं। इसके बाद से अस्थिरता का भाव प्रजातंत्र में, खासतौर से भारत के प्रजातंत्र में प्रवेश कर गया। अब वर्तमान दो-तीन चुनावों से तो स्थिति और भी खराब हुई है। लोकसभा में केन्द्र की सरकार बनाने के लिए किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा है। जब एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो उस सरकार की स्थिरता पर प्रश्न-चिह्न लगा रहता है।

उपसभाध्यक्ष जी, वर्ष 1977 से यह क्रम लोकसभा में, केन्द्र की सरकार के लिए भी शुरु हुआ। वर्ष 1977 में जी सरकार बनी, वह पूरे पांच वर्ष तक नहीं चल पाई। उसके बाद से, कमावैशी कुछ अवसरों को छोड़कर, यह क्रम चलता रहा है। लोकसभा और विधानसभाएं अपना कार्यकाल पूरा पांच वर्ष तक का कैसे पूरा करें, इसके लिए कुछ संशोधन चुनाव कानून में करना जरूरी हो गया है। पहला संशोधन यह करना चाहिए कि चुनाव में निर्दलीय सदस्य खड़े न हों, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारा देश दलीय प्रजातंत्र की जहां पर व्यवस्था है

वहां पर निर्दलीय की कोई उपयोगिता शेष बचती नहीं है। अन्य क्षेत्रों में निर्दलीय की उपयोगिता हो सकती है लेकिन भारत के प्रजातंत्र की जिस तरह से कल्पना की गई है उस प्रकार के प्रजातंत्र में, जहां पर कि दल को प्रमुखता दी गई है, वहां पर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है और इसलिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतता भी है, चाहे लोक सभा का जीते या विधान सभा का जीते, वह कोई बहुत ज्यादा योगदान प्रजातांत्रिक पद्धति में दे पाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए सबसे बड़ा संशोधन होना चाहिए कि विधान सभा और लोक सभा के चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए जो किसी मान्यता प्राप्त दल से संबंधित न हों। इससे स्थिरता आएगी, इससे चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या भी घटेगी। बीच-बीच में चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या इतनी हो गई थी कि पूरा बैलेट पेपर पूरी टेबल पर भी बिछा दो तो भी पूरे उम्मीदवारों को समावेश नहीं हो पाता था। जमानत की राशि बढ़ने पर उसमें थोड़ा अंतर आया, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं आया। अभी जमानत की राशि बढ़ने के बाद भी कई स्थानों पर ऐसा होता है कि कुछ वोट काटने के लिए ही उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं। अब 5,000 रूपए भरकर किसी को खड़ा कर देने से जहां एक और उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है वहीं दूसरी ओर इससे प्रजातंत्र की व्यवस्था भी दूषित होती है। इसलिए भी निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा होने की पात्रता नहीं होनी चाहिए। केवल वही व्यक्ति लोक सभा के लिए खड़ा हो जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित हो। तो यह पहला संशोधन होना चाहिए।

दूसरा संशोधन यह होना चाहिए कि राजनीतिक दलों के लिए मान्यता के लिए जो वर्तमान में वोट प्रतिशत है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि जो राजनीतिक दलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है या अभी वर्तमान में है, उसमें कभी हो सके। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है और इसमें इतने ज्यादा अगर राजनीतिक दल होंगे तो अस्थिरता भी आएगी और व्यवस्था भी बिगड़ेगी। इसलिए मान्यता प्राप्त करने के लिए 10 प्रतिशत या उसके आसपास का कोई प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए और उससे कम मब प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रदेश स्तरीय मान्यताएं भी उसी प्रतिशत के आधार पर होनी चाहिए। जो प्रदेश स्तरीय मान्यता प्राप्त दल है, उनको केवल विधान सभा में खड़े होने की पात्रता होनी चाहिए और जो राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त दल हैं उनको लोकसभा में खड़े होने की पात्रता होनी चाहिए, ऐसा होने से बहुत सी समस्याएं हल होगी। प्रश्न कभी-कभी यह खड़ा हो सकता है कि अगर कोई निर्दलीय योग्य व्यक्ति है, आउट स्टैंडिंग है,

विद्वान हैं, तो उसका लाभ लोक सभा या विधान सभाएं कैसे ले? उसके लिए हमारे यहां व्यवस्था हैं, केन्द्र में राज्य सभा हैं, जहां राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से राज्यों में भी विधान परिषदें हैं। जहां विधान परिषदे नहीं हैं वहां 25 प्रतिशत तक सदस्य नॉमिनेट करने की व्यवस्था की जा सकती है और उसमें योग्य, विद्वान या राज्य के लिए उपयोगी व्यक्तियों को लाया जा सकता है। तो यह व्यवस्था करने से भी समस्याएं सुलझेंगी और सरकारें पांच वर्ष तक चलेंगी। पांच वर्ष तक सरकार के न चलने का एक कारण होता है अविश्वास प्रस्ताव और उसके आधार पर सरकारों का गिराना या बहुमत प्राप्त न करने के कारण सरकारों का गिरना या बहुमत प्राप्त न करने के कारण सरकारों का गिरना। इसमें भी परिवर्तन किया जाना जरूरी है। सरकार बनाने के लिए उसी दल को आमंत्रित किया जाना चाहिए जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो। उसमें कोई ज्यादा उठक-बैठक करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही केवल खड़े होने की पात्रता होंगी तो जो स्थानीय या क्षेत्रीय दल होंगे वे अपने आप लोक सभा होने के लिए किसी राष्ट्रीय दल से अपने आपको संबद्ध करेंगे और चुनाव से पहले संबद्ध करेगा।

जब चुनाव के पहले सम्बद्ध करेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि चुनाव के पूर्व के गठबंधन जो होते हैं, वे ज्यादा ईमानदार के गठबंधन होते हैं, वे ज्यादा उपयुक्त होते हैं और उनके आधार पर केन्द्र में भी कोई सरकार बनाने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल हो, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसमें यह शर्त लगाई जा सकती है कि उसकी सदस्य संख्या एक-तिहाई से कम न हो। इसके बाद वह व्यवस्था भी करनी चाहिए कि जिसको एक बार सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, उसको एक वर्ष तक कोई अपदस्य न कर सके। इसलिए एक वर्ष तक कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने में स्थिरता आएगी। एक वर्ष के बाद फिर यह अवसर मिल सकता है और जब फिर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा सकती है लेकिन एक वर्ष तक या 2 वर्ष तक जो भी अवधि निर्धारित की जाए, किसी प्रकार से सरकार हटाने की या बहुमत सिद्ध करने वाली बात नहीं होनी चाहिए।

महोदय, इसके साथ यह भी जरूरी है कि चुनाव का खर्च कम होना चाहिए। इसलिए हमेशा विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव साथ-साथ होने चाहिए। अगर सरकार 5 वर्ष तक चलेगी तो ऐसी व्यवस्था करने में कोई

कठिनाई नहीं होगी। यह व्यवस्था तब से बिगड़ी है जब कुछ राज्य सरकारें टूट गईं और केन्द्र की सरकार चलती रही या फिर केन्द्र की सरकार टूट गई और राज्य सरकारें चलती रही। इसलिए पहले जो व्यवस्था थी कि साथ-साथ चुनाव होते थे, उसे बहाल करना चाहिए। जब सरकारें 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगी तो यह व्यवस्था फिर कायम की जा सकती है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ हो सकते हैं। इससे दलीय प्रथा मजबूत होगी और इसमें स्थिरता भी आएगी। जमानत राशि अब 5,000 रूपए कर दी गई है जो वर्तमान परिस्थिति में पर्याप्त है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार तो खड़े नहीं हो सकेंगे।

महोदय, इसमें यह व्यवस्था भी होना चाहिए चुनाव खर्च किसी उम्मीदवार को करना है तो चुनाव फंड इकट्ठा करने के लिए उसे तरह-तरह के हथकड़े अपनाने पड़ते हैं या जो कुछ भी प्रलोभन या आश्वासन देने पड़ते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिनको न्यूनतम वोट मिलते हैं, उन राजनीतिक दलों को और उनके उम्मीदवारों को एक निर्धारित राशि चुनाव खर्च के लिए दी जानी चाहिए। इससे काफी विकृतियां कम हो जाएंगी।

महोदय, चुनाव खर्च की सीमा के बारे में कानून तो बने हुए हैं, लेकिन आज तक उनका कोई लाभ नहीं हुआ है। शायद इन 50 वर्षों में 2 या 4 व्यक्तियों को अपदस्थ किया गया होगा जिन्होंने सीमा से अधिक खर्च किया है। फिर ऐसा नियम बनाने से क्या लाभ? श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो संशोधन करके उसे इतना व्यापक कर दिया कि एक व्यक्ति किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए भी खर्च कर सकता है और वह बिना गिना नहीं जाएगा। ऐसा करने से मामला बिगड़ गया। इसलिए चुनाव खर्च की सीमा बांधने से कोई फायदा नहीं है लेकिन चुनाव खर्च में कमी आए, इसके लिए कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पोस्टर्स उन्ही कागजों पर छपेंगे जो सरकार देगी। ऐसा करने से सीमित संख्या में पोस्टर्स छापेंगे और सरकार की ओर से मदद भी हो जाएगी और अपव्यय भी नहीं होगा। कोई अपना प्राइवेट कागज लगाकर पोस्टर्स नहीं छाप सकेगा और कपड़ा लाकर बैनर नहीं लगा सकेगा। इस तरह यदि हमने कागज और कपड़ा सरकार की ओर से उपलब्ध कराया तो समस्या काफी हद तक हल हो सकती है और खर्च में कमी आ सकती है।

फिर मतदाता सूची जितनी जरूरत हो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाए, उसमें भी सरकार के द्वारा मदद हो जाए। इसके साथ-साथ मत पर्चियां भी सरकार बनाकर दे दे। अब मतदाता पर्चियां बनाने की व्यवस्था उम्मीदवार

स्वयं करता है। अगर सरकार बनाकर देगी यह सरकारी मदद होगी। वह सरकारी खर्च में भी जुड़ जाएगा और उसमें उम्मीदवार को बाकी कामों पर अपना समय खर्च करने के लिए अवसर मिलेगा। फिर चुनाव की अवधि भी कम करनी चाहिए। वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया में एक महीने का समय लगता है—नामांकन से लेकर गिनती तक एक महीने से ऊपर समय लग जाता है। इसको कम करना चाहिए। जब केवल राजनीतिक दलों को ही खड़े रहने की मान्यता होगी, पात्रता होगी फिर लम्बा समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसको घटा कर 15 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। वर्तमान में 7 दिन तक नामांकन पत्र लिए जाते हैं। तीन दिनों के अंदर नामांकन पत्रों का सारा सिलसिला खत्म कर दीजिए और विद्भोल के बाद मतदान की अन्तिम तिथि एक सप्ताह, 10 दिन काफी है जिसमें चुनाव हो जाएं। इसलिए कुल मिलाकर 15 दिन के अंदर सारा चुनाव समाप्त हो जाए, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर मेरा सुझाव है कि बहुत बार बात चल रही है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग होना चाहिए। लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। पता नहीं यह क्यों नहीं हो पा रहा है। यह व्यवस्था जरूरी है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग से गिनती में जो गड़बड़ी होती है वह भी कम होगी। परिणाम की घोषणा तुरन्त वहीं के वहीं मतदान केन्द्र पर ही हो सकती है और बाकी की जो गड़बड़ियां गिनती में होती हैं वह सब गड़बाड़ियां समाप्त हो सकती हैं। इसलिए इलेक्ट्रानिक मशीनों द्वारा किए गए मतदान के आधार पर गिनती बहुत जरूरी है। इसको शीघ्रताशीघ्र लागू करने में क्या अड़चने हैं मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन इसको करना चाहिए। फिर हर व्यक्ति को आईडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। बोगस मतदान इसी से रूकेगा, इसके अलावा किसी चीज से नहीं रूक सकेगा। वह बीच में चल था फिर रूक गया। इसको फिर से चलने की बात हो रही है कि मल्टी परपज आईडेंटिटी कार्ड बने उससे कोई आपत्ति नहीं है। उसी कार्ड के आधार पर मतदान की पात्रता हो जाए। उसमें काफी कुछ बोगस मतदान पर रोक लगाई जा सकती है। फिर उम्मीदवारों के बारे में कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए।

वर्तमान में हर प्रकार के उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतर होनी चाहिए, भले ही आप उसे मैट्रिक रखिए, ग्रेज्युएट रखिए लेकिन उतनी शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है उम्मीदवार को खड़े होने के लिए। क्योंकि आप लोक सभा में आ रहे हैं तो यहां पर नियम-कानून बनते हैं। उनको पढ़ने और जानने की समझ होनी चाहिए। विधान सभा में जो लोग पहुंचते हैं, वहां पर भी कानून बनते हैं। उन कानूनों को थोड़ा बहुत समझने की समझ

होनी चाहिए। अगर यह नहीं है तो फिर उम्मीदवार जीतकर आए तो उसका ज्यादा योगदान हो नहीं पाता है और इसीलिए कई बार तो ऐसा भी पता लगता है कि कानून पास हो गया लेकिन अधिकांश सदस्यों को पता नहीं है कि कौन सा कानून हमने पास कर दिया है। फिर उनसे पूछते हैं कि आपके समय में पास हुआ तो उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं है कि कैसे पास हो गया। तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जो कानून बनता है वह महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय कानून है तो पूरे देश में लागू होता है।

प्रदेश का कानून पूरे देश में लागू होता है। पता नहीं, किस वक्त किस व्यक्ति को उससे परेशानी उत्पन्न हो। अगर यह जानकारी आप समझ नहीं पाए, कानून के पास हो गया और व्यवस्थाएं तय हो गईं, नियम बन गए तो फिर बाकी जिन लोगों को भुगतना हो उसकी परेशानी इससे बढ़ती है।

एक और प्रतिबंध लगाना चाहिए। जनसंख्या इस देश में बड़ी समस्या बनी हुई है। पंचायत चुनाव के लिए कुछ राज्यों में जो सुझाव देने जा रहा हूँ वह नियम बना हुआ है। जिनको दो सन्तान से अधिक हैं उनको चुनाव में खड़े होने की पात्रता नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि जिनकी तीन सन्तान से अधिक है एक निर्धारित तिथि के बाद होती है तो उस दम्पति को मतदान करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी मत बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है। कुछ—कुछ पाकेट्स में यह भी बातें हैं। तो अगर वह व्यवस्था कर दी तो उसका लाभ जनसंख्या को रोकने में भी होगा और स्वस्थ असर भी होंगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसी उम्मीदवार को खड़े होने की पात्रता होनी चाहिए जो निर्धारित तिथि के बाद जिसकी सन्तान दूसरी से तीसरी नहीं हुई हो और मतदान करने के लिए उसी दम्पति को मतदान करने की पात्रता होनी चाहिए जो निर्धारित तिथि के बाद तीसरी से चौथी सन्तान उसकी न हो।

म.प. 3

फिर अभी सुरक्षित सीटें जो हैं, वे लगातार चली आ रही हैं। अनुसूचित जनजाति की जो सुरक्षित सीटें हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना नहीं है क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लोग एक झुंड के साथ रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं और उनकी जहां बहुसंख्या है, वहां अनुसूचित जनजाति के लोग ही खड़े हो तो ठीक है लेकिन अनुसूचित जाति का जहां तक संबंध है, यदि किसी एक स्थान पर वह 26 प्रतिशत है तो अनुसूचित जाति की वह सीट सुरक्षित हो गई और यदि वह 25 प्रतिशत है तो जहां अनुसूचित जाति की सीट सुरक्षित नहीं हुई। एक प्रतिशत

के अंतर से ही चाहे वह बहुमत में हो, वह सुरक्षित नहीं हो सकती। ये लोग सभी स्थानों में फैले हुए रहते हैं और इसीलिए कहीं भी उनका 51 प्रतिशत तो हैं नहीं लेकिन 51 प्रतिशत से कम होने के बाद भी सीट सुरक्षित करनी पड़ती है। और यदि करनी पड़ती है तो 25 और 26 प्रतिशत में क्या अंतर हुआ? चुनाव आयोग ने इसीलिए एक बार सुझाव दिया था कि दस वर्ष के बाद जो दूसरे क्रम पर हो, उसको सुरक्षित सीट कर देना चाहिए। ऐसा करने से जहां सामान्य लोगों को जो सुरक्षित सीटें हैं, दस वर्ष के बाद उन पर भी खड़े होने की मात्रता प्राप्त हो सकती है, उनका भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। इस तरह से ये क्षेत्र हमेशा पात्र बने रहेंगे और उससे यह लाभ होगा।

डीलिमिटेशन कमीशन लंबे समय से नहीं बैठा। जबकि प्रावधान है, व्यवस्थाएं हैं। कुछ सीमाएं गड़बड़ हैं, ठीक नहीं हैं, कोई क्षेत्र बराबर का नहीं है, असमान क्षेत्र हैं। दिल्ली में ही एक लोक सभा क्षेत्र है। दिल्ली में ही एक लोक सभा क्षेत्र में तीन लाख मतदाता हैं तो दूसरे क्षेत्र में बीस लाख मतदाता हैं और दोनों की एक ही कैटेगरी है। तो ये जो असमानताएं हैं ये दूर होनी चाहिए और इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन को बैठाना चाहिए हर दस वर्ष के बाद और वह दस वर्षों में सीमाओं का निर्धारण करे। भले ही संख्या के बारे में आपने जो प्रतिबंध लगाया हुआ है, वह एक अलग बात है लेकिन सीमाएं अगर ठीकठाक करने की आवश्यकता पड़े..... जनसंख्या कभी कभी शिफ्ट भी होती है। एक स्थान से शिफ्ट होकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गई और जिस स्थान से शिफ्ट हुई है, वहां पर जनसंख्या कम रह गई तो फिर उसमें पूरी सीट को पात्रता देने की क्या आवश्यकता है? इस बात पर विचार होना चाहिए।

इसी प्रकार के शासन की ओर से जैसा मैंने कहा कि कागत की, कपड़े की, मतदाता परिचियों की मदद हो उसी प्रकार से पेट्रोल और डीजल की भी अगर मदद हो तो यह मदद इस रूप में दी जाए कि नकदी में भले ही कम हो। यदि इस रूप में मदद देंगे तो उसका भी एक प्रकार से लाभ ही होगा।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं, शायद कुछ मित्र दे भी चुके होंगे कि वोट डालना अनिवार्य होना चाहिए और जो वोट नहीं डालता है, उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए क्योंकि ऐसी व्यवस्था न होने के कारण उम्मीदवार एक तो अवैधानिक काम करता है। उम्मीदवार वोटों को लाने की व्यवस्था करता है। उम्मीदवार वोटों को लाने की व्यवस्था करता है। कई मतदान-केन्द्र ऐसे हैं जो तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर दूर हैं और पांच-पांच सौ लोगों को उस गांव से लेकर दूसरे स्थान पर मतदान कराना है तो वे वाहनों की व्यवस्था करते हैं। जो गरीब उम्मीदवार हैं, वह नहीं कर पाता है और उसके

वाहनों में वे नहीं जाते हैं तो उसका वोट प्रभावित होता है। अगर आपने यह अनिवार्य कर दिया कि जो वोट डालने नहीं जाएगा, उस पर जुर्माना लगेगा तो यह समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए कानून में ऐसा संशोधन होना चाहिए।

एक और व्यवस्था में जो न्यूनतम दूरी का प्रावधान है वह कहने के लिए तो यह है कि डेढ़ किलोमीटर से दूरी वाले स्थान जो हैं, वे अलग से मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे लेकिन आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हजारों मतदान केन्द्र हैं जो डेढ़ किलोमीटर तो क्या चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर की दूरी पर हैं और उनको पांच किलोमीटर की दूरी पर मतदान करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मतदान केन्द्र की दूरी अनिवार्य रूप से डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जिस गांव में तीन सौ या उससे अधिक मतदाता रहते हैं, उसका पृथक मतदान केन्द्र होना चाहिए। यह तो ज्यादाती है कि तीन सौ मतदाता हैं और उनको दो किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए? आजकल हर गांव में शासकीय भवन हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं। अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं तो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन तीन सौ और उससे अधिक मतदाता जिस गांव में रहते हैं, उसका पृथक मतदान केन्द्र होना चाहिए। एक भी मतदान केन्द्र की दूरी पूरे डेढ़ किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कुछ सुझाव थे — आपने जल्दी समाप्त करने को कहा इसलिए

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन विसि) : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री राघवजी : मुझे उम्मीद है कि बाकी के माननीय सदस्य — जो चीजें इसमें छूट गयी है, कुछ चीजें आ गयी हैं कुछ आगे आ जाएंगी, लेकिन रामदास अग्रवाल जी को मैं फिर से बधाई देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बिल लेकर वह यहां पर आये हैं और मुझे उम्मीद है कि शासन इस पर गंभीरता से विचार करेगा और टुकड़ों-टुकड़ों में जो संशोधन हुए हैं, उसे बंद करके सारी मूलभूत बातों का समावेश करते हुए एकाग्र दृष्टि से तैयार किया हुआ विधेयक या तो शासन स्वयं प्रस्तुत करेगा और अगर नहीं करते हैं तो रामदास अग्रवाल जी को करने के लिए कह दें, वह इसे तैयार करके बिल प्रस्तुत कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, श्री रामदास अग्रवाल जी चुनाव सुधार के लिए जो प्रस्ताव सदन में लाए हैं, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। वर्षों से इस पर विचार और बहस चल रही है कि हमारे चुनाव के जो नियम हैं, जनप्रतिनिधित्व कानून हैं, उसमें

सुधार किया जाए। महोदय, सभी दलों के लोग यह कहते हैं कि सुधार किया जाए लेकिन क्या कारण हैं कि सुधार नहीं हो पाता है? जो सत्ता पक्ष में रहते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है, इस पर विचार करेंगे और जो विपक्ष में रहते हैं, वह कहते हैं कि जल्दी से सुधार कीजिए लेकिन यह ऊपर जाने की और नीचे आने की प्रक्रिया तब से जारी है तो फिर कुछ होता क्यों नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि दलीय स्वार्थ काम करता है और यही कारण है कि चुनाव सुधान के लिए एक आम सहमति बनाकर आवश्यक सुधार की जो आवश्यक है यह अग्रवाल जी का पहला मुद्दा है। इस पर किसी की असहमति होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे मजबूत किया जाए? जब तक ईमानदारी से इसको कबूल नहीं किया जाएगा — इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कमोवेश सभी पार्टियों के लोगों ने, कुछ को छोड़कर, दुरुपयोग नहीं करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट और विनम्र निवेदन चाहता हूँ कि धनबल और बहुबल का इस्तेमाल किस-किस ने नहीं किया है, वह जरा ईमानदारी से बता दें। अगर सचमुच आप सुधार चाहते हैं— एक कहावत है कि “पर उपदेश कुशल बहुतेरे”। एक दूसरे को उपदेश अगर हम देते रहेंगे तो सही मायनों में जो चुनाव की समस्याएं हैं, जो गड़बड़िया पैदा हो गयी हैं, उसको हम नहीं सुधार सकते हैं। धनबल और बाहुबल का उपयोग कौन नहीं करता है? अभी लोक सभा के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन के एक माननीय कमिश्नर ने कहा कि बहुत सावधानी बरतने के बाद भी बारह आपराधिक चरित्र के लोग आ गये हैं। हम और आप सभी जानते हैं कि महामहिम बड़े मशहूर हैं फिर भी उनको इस दल से उस दल में — उस दल में हैं तो खराब हैं और आपके दल में वह बाहुबली आ गये तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो गंगा जल का पानी डाल दिया इसलिए वह पवित्र हो गये, कोई कहेंगे कि सोन का पानी छिड़क दिया इसलिए शुद्ध हो गये, कोई कहेगा कि सरयू का पानी डाल दिया इसलिए वह शुद्ध हो गये, यह सब बेकार है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हो, इसको बंद किया जाए। अगर सही मायने में आप सुधार करना चाहते हैं तो अपने-अपने दल से जो भी आपराधिक चरित्र के लोग हैं उनको पहले हटाइये तभी हम समझे कि आप सही मायने में चुनाव सुधार करना चाहते हैं आप धन और बल वालों को टिकट देते हैं, उनको जिताते हैं, खरीद —फरोख्त करते हैं। अभी चुनाव हुआ और हमें हर जगह की रिपोर्ट मालूम है कि कहां पर क्या-क्या हुआ। आप जरा ठंडे दिल-दिमाग से अपने

हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, विचार कीजिए। इस देश की जनता को बहुत दिनों तक टगते मत रहिए। एक दिन देश की जनता इसका उपाय ढूंढेगी, उस से पहले हम सब लोग मिलकर इसका उपाय ढूंढेंगे, उस से पहले हम सब लोग मिलकर इसका उपाय ढूंढ लें तो अच्छा होगा, सही समय पर होगा। इसीलिए यह जो धन-बल और बाहुबल हैं इसका उपयोग चुनाव में बिल्कुल बन्द होना चाहिए। हमने देखा है और आपने भी देखा है कि बूथ कैप्चरिंग के लिए मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के लिए अपराधियों का सहारा लिया गया और इसको देखकर अपराधियों ने यह सोचा कि जब हम इस प्रकार दूसरों को जिता सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं खड़े होकर चुनाव जीतकर विधान मंडल और संसद में जाएं। वे खुद चुनाव में खड़े होने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस परिपाटी को किसने शुरू किया? इसको राजनीतिक दलों के लोगों ने ही शुरू किया। इसलिए कानून में यह व्यवस्था कीजिए कि कोई भी दल आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगा। इसकी व्यवस्था जन-प्रतिनिधित्व कानून में होनी चाहिए। जन-प्रतिनिधित्व कानून में साफ गोई के साथ इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह से प्रस्ताव और बिल आते रहेंगे और कोई बिल सरकार की तरफ से भी नहीं आएगा। सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। इसलिए आवश्यकता है कि इन बातों के ऊपर पाबन्दी लगाई जाए। जिसने जनता का घर-द्वार नहीं देखा, वह न किसान के यहां गया और उसको एकाएक चुनाव में उम्मीदवार बना दिया जाता है कि वह बाहुबली है, धनबली है या अमुक जाति का है, अमुक धर्म का है या अमुक क्षेत्र का है। इस बात का प्रदर्शन संसद और विधान मंडल में देखा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे लोगों को यहां पर लाकर के बैठाना चाहते हैं? जिसने जनता के दुख-दर्द को देखा नहीं, सुना नहीं उसके बीच रहा नहीं, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल जाता है ता वह तुरन्त नेता बन जाता है, वह जन-प्रतिनिधि बन जाता है तो इसके लिए कौन जबाबदेह हैं? राजनीतिक दल के लोग जवाबदेह हैं जब इस सदन में हम और आप बैठे हैं तो फिर ऐसे लोगों को उम्मीदवार क्यों बनाते हैं? इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को केंडीडेंट नहीं बनायेंगे और आपराधिक चरित्र के केंडीडेंट पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए, कानूनन रोक लगनी चाहिए, पार्टी की तरफ से रोक लगनी चाहिए। वोट के लिए जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद का सहारा तो राजनीतिक दलों के लोगों ने ही उठाया है। जातिवाद कभी आपके पक्ष में जाता है तो जातिवाद ठीक है, धर्मवाद आपके पक्ष में जाता है तो

धर्मवाद ठीक हैं और जब जातिवाद आपके खिलाफ जाता है तो कहते हैं कि जातिवाद खराब है, धर्मवाद आपके खिलाफ जाता है तो कहते हैं कि धर्मवाद खराब है। आप इस पर मिलकर के कोई काम कीजिए, आप इस पर तो गौर कीजिए, इस पर विचार कीजिए। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो चुनाव सुधार नहीं होगा।

जनता के बीच में लोकतांत्रिक चेतना आप और हम पैदा कर सकते थे लेकिन पिछले 50 साल में, वह नहीं कर सके है। राजनीतिक चेतना हम जनता में पैदा नहीं कर सके हैं और उस चेतना का ह्रास हुआ है। अब कहते हैं कि अमुक पर रोक लगाइए, अमुक पर रोक लगाइए, शुरू तो आपने किया। ठीक है इस पर बहस चलाइये कि जब 18 साल वालों को वोट देने का राइट हैं तो जो अभी 25 साल की आयु-सीमा है उसको घटा दिया जाए। 50 सालों में तो यह स्थिति है आयु सीमा के बारे में अगर इसको 18 वर्ष कर दिया जाएगा तब तो विधान मंडल के दोनों सदनों को चलाना और यहां के सदनों को चलाना सम्भव नहीं होगा। इतने पर कभी-कभी विचित्र स्थिति हो जाती है इसीलिए मेरी समझ है कि जो 25 साल की सीमा बंदी है उसको आप घटाइये मत।

जहां तक चुनाव सुधार की बात है तो उसके लिए कुछ आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का भी कुछ उत्तरदायित्व है। आप चुनाव के कानून में संशोधन करें। उसमें राइट टू रि-काल होना चाहिए अपने प्रतिनिधियों का जो प्रतिनिधि काम नहीं करता हो, जनता के बीच में सम्पर्क नहीं रखता हो, उसकी एक समय बंदी हो कि इतने लोग अगर क्षेत्र के हस्ताक्षर करके स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब को देते हैं कि हमारा प्रतिनिधि नकारा है, यह हमसे सम्पर्क नहीं करता है, हमारी बात नहीं सुनता है तो इनको सदन में वापस बुला लिया जाए। अगर इस रिस्क को वे लेने के लिए तैयार है "राइट टू रि-काल रिप्रजेन्टेटिव्स" अपने को तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जनता से दूर न हों। अभी राघवजी ने कहा कि बच्चे पैदा करने बंद कर दो, वोटर बढ़ जाते हैं। अगर वोटर नहीं रहते तो यहां कैसे आते? कैसे लोक सभा और विधान मंडलों में जीतकर चले आ रहे हैं या फिर क्या वोटर पर से आपका विश्वास उठ गया है? यह ठीक है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, उसके लिए भी कुछ सुधार हो। लेकिन यह कहते हैं कि बच्चे पैदा ही न हो। हम लोगों को अगर पांच हो गए, और भी ऐसे सदस्य लोक सभा और राज्य सभा में हैं, हमने और आपने तो इसका लाभ उठा लिया और दूसरों के लिए कहते हैं कि इनको चान्स न मिले, यह भी वाजिब नहीं है। मैं इसके लिए तर्क दे रहा हूँ कि लोक सभा और राज्य सभा में जितने सदस्य हैं, देश के सभी विधान सभाओं

में जितने सदस्य हैं, इन्हीं पर केवल पाबन्दी लगा दी जाए। इसमें ही जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है वह रोक जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इस सवाल पर आपसे मेरा मतभेद है। आज आजादी के 50 साल बाद आपने देश के बच्चे और बच्चियों को तो पढ़ाया नहीं इसलिए वे जानते तक नहीं कि कम बच्चे पैदा करने से क्या लाभ है और सभी धर्मों के मानने वाले लोग कहते हैं कि भगवान, खुदा का दिया हुआ है, इनमें से कौन क्या होगा, मालूम नहीं। उनको वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए। तो यह जो एक अंधविश्वास है इसका धर्म से भी कुछ लेना-देना नहीं है, यह तो जड़ता को छुड़ाने के लिए उनको शिक्षा-दीक्षा दी जाए। संविधान में हमने लिखा था कि दस साल के बाद सभी बच्चे और बच्चियों को सरकार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 26 जनवरी, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी, 1960 के बाद इसको पूरा करने की किसी को चिन्ता नहीं। आज हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आपकी सरकार है। हम कहना चाहेंगे कि आप ही इसको लागू कर दीजिए। पहले आप दूसरी सरकारों से मांग करते थे। आज आप खुद सरकार में हैं। आप इस काम को कीजिए। हम सभी लोग आपका समर्थन करेंगे। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे-बच्चियों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो तो वह पढ़-लिखकर स्वयं परिवार नियोजन करेंगे। आमतौर पर देखा जाए तो गरीबों के ही ज्यादा बच्चे होते हैं। हम गरीबी हटाने से लेकर बेरोजगारी हटाने तक का नारा दे रहे हैं। बेरोजगारी तो हटी नहीं, देश से गरीबी नहीं हटी लेकिन गरीब कुछ हट गए और अभी भी गरीबी बरकार है। इसी तरह से बेरोजगारी तो नहीं हटी लेकिन गरीब कुछ हट गए और अभी भी गरीबी बरकार है। इसी तरह से बेरोजगारी तो नहीं हटी लेकिन बेरोजगार हट गए। इसलिए आप कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे सही मायनों में भारतीय समाज को एक नई चेतना मिल सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक सिर्फ शर्त लगाने से सारा मामला हल होने वाला नहीं है। मैं नहीं कहता कि कुछ शर्त न हो। लेकिन ऐसी कड़ी शर्त न लगाइए जो व्यवहार में न आ सके और उसका विरोध हो। एक व्यावहारिक शर्म और कुछ प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बूथ कैप्चरिंग किसने शुरू की? जिन लोगों के पास शाक्ति हैं, इरेस्पेक्टिव आफ पार्टी, अक्रास दि पार्टी, वही यह काम करते हैं। "समरथ को नहीं दोष गुसाईं"। जो जितना शाक्तिमान है वह उतनी ज्यादा रैगिंग करता है, बूथ कब्जा करता है इसमें वह मसल पावर और धन-शाक्ति का उपयोग करता है। कहा भी जाता है कि "को बड़ छोट कहत अपराधू" अपराध शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। जो कमजोर है वह चिल्लाता है कि बूथ काबिज हो गया

लेकिन जो मजबूत हैं वह बूथ पर कब्जा कर लेता हैं और कहता है कि बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। अगर ऐसी डबल स्पीकिंग हमारी रहेगी, अगर दो मुंही बात हम करेंगे तो इससे हम इस समस्या पर काबू नहीं पर सकते हैं। निश्चय ही इसको लागू करने के लिए, चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि ..

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिंसी) : आपका टाइम हो गया।

श्री जलालुद्दीन अंसारी : आप एक व्यापक, कम्प्रहेंसिव इलेक्शन रिफार्म्स बिल लाये। इसमें जो गड़बड़ियाँ हैं वह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसमें ऐसी व्यवस्थाओं के जरिए आप उनको बंद करें ताकि सही मायनों में हमारे देश का संसदीय जनतंत्र फले फूले और उसमें आम लोगों को सही तरीके से भाग लेने का अवसर उपलब्ध हो सके और वह इससे वंचित न रह सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह चंद लोगों के व्यापार तक ही सीमित रह जाएगा और राजनीति करने में आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होगी। इसलिए मैं, अग्रवाल जी के इस रेजोल्यूशन का तहेदिल से समर्थन करता हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि "समाधान" भी आपका एजेंडा है, इस समस्या का भी अगर समाधान कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय रामदास अग्रवाल जी के प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है जिससे हम लोग सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। वाकई मैं, यह बात सही है, हर पार्टी इस बात को समझती है, अपने बयान में कहती है, अपने मांग-पत्र में लिखती है लेकिन ऐन मौके पर वह इससे मुकर जाती है। वह इससे क्यों मुकर जाती है, किस चीज का दबाव उन पर रहता है, इसके क्या कारण हैं, वही हमें सोचना है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हम इस पर सोचने लगते हैं तो विचार आता है कि गणराज्य आने से पहले, गणतंत्र आने से पहले यहां पर तलवार का राज था। हमलावर आए, मुगलिया सल्तनत आई, ब्रिटिश साम्राज्यवादी आए और हमारे देश के पूर्व पुरुषों ने, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उनमें से किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने देश प्रेम के नाम पर इस देश को मुक्त करके देश को एक गणतंत्र दिया। उस पर गणतंत्र का हथ्र ऐसा होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। मुगलिया सल्तनत के अत्याचारों के

खिलाफ कहीं शिवाजी लड़े कहीं महाराणा प्रताप लड़े, कहीं गुरु गोबिन्द सिंह लड़े। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद आया तो इन महामानवों की प्रेरणा के साथ लोग उस ब्रिटिश हकूमत के खिलाफ भी लड़े। उनकी एकमात्र मांग यह थी कि हमें आत्म-सम्मान चाहिये, हमें अपना अधिकार चाहिये तोकि हम अपने प्रतिनिधि चुन सकें। राजा-महाराजाओं और साम्राज्यवादियों की प्रथ खत्म हो और गणतंत्र स्थापित हो। जय गणतंत्र का नारा लगाते हुए शहीद हुए, फांसी के फंदों को चूमा और जेलों में एड़िया रगड़-रगड़ कर मर गए, काले पानी की सजा भोगी और फिर गणतंत्र आया। लेकिन आज उस गणतंत्र का परिहास हो रहा है। अगर 10 फिल्में बन रही हैं तो उसमें 7 फिल्में ऐसी है जिनमें एम.एल.ए. के नाम पर, मंत्री के नाम पर, एम.पी. के नाम पर राजनैतिक नेताओं के चरित्र को सामने रख कर परिहास किया जा रहा है। महोदय, सब से पहले जो आज का एम.एल.ए. लोगों ने देखी, उसमें किस तरह का मखौल बनाया गया। यह मखौल यों ही नहीं, कोई कल्पना नहीं थी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सच्चाई, कहीं न कहीं आग लगी हुई है जिसका धुंधा ऊपर उठ रहा है। यही कारण है कि "प्रतिघात" बनी। "प्रतिघात" सिनेमा देख कर आदमी का दिमाग घूम जाता है कि समाज में ऐसे-ऐसे दुश्कर्म भी होते हैं जिसको राजनैतिक नेता और राजसत्ता का संरक्षण मिल सकता है। अभी कुछ दिन पहले "भाई जी" एक सिनेमा आया। उसमें किस तरह से हमारी पूरी प्रणाली को नंगा कर के सामने दिखाया है। राजनीतिक पार्टी और राजनैतिक नेता किस तरह से किन-किन धिनौने कार्यकलापों में लिप्त हैं और किस तरह से जनता के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर यह सारा झूठ होता तो मैं समझती हूँ राजनीतिक दल और राजनीति से जुड़े हुए लोग इसके खिलाफविरोध करते और खड़े हो कर के संसद बोर्ड को इसकी परमिशन नहीं देने देते। परन्तु यह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह गलती हमारे में विद्यमान है। यही कारण है कि हम आज देख रहे हैं कि दिन-प्रति-दिन चाहे लोक सभा का चुनाव हो, चाहे विधान-मण्डल का चुनाव हो या राज्य सभा का चुनाव हो, सब जगह जिस तरह से धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है, वह सपना जो हमारे पूर्व पुरुषों ने जहां पर देश की आजादी की लड़ाई में देशवासियों को दिया था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो किसान का बेटा राज करेगा, मजदूर का बेटा राज करेगा, आज वह स्थिति नहीं है। आज तो धनवान का बेटा राज कर रहा है, बाहुबली का बेटा राज कर रहा है, वही परम्परा बन गई है। इलेक्शन कमीशन बार-बार कह रहा है, बार-बार अपने प्रस्ताव रख रहा है कि सारे राजनीतिक दल मिल

कर के फैसला करें, एक ऐसा विधेयक पास करें ताकि स्वच्छ छवि वाले लोग देश में राज करने के लिए आ सकें, ऐसा कोई रास्ता निकाल सकें। हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. सेशन साहब ने इस पर रोक लगाने के लिए एक नयी प्रणाली शुरू की थी। मेरा कई बार उनसे वार्तालाप हुआ। एक बार आइडेंटिटी कार्ड का मुद्दा उठाया। मैंने उनसे कहा कि सेशन साहब आप बड़ी तेल रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। नई गाड़ी भी आपके पास हैं, लेकिन सड़क कहीं नहीं हैं और कहीं कहीं टूटी हुई है। टूटी हुई सड़क पर, नई गाड़ी पर सवार हो कर गाति से चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि आपका एक्सेलरेटर टूट गया, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, आप चल नहीं सकेंगे। उन्होने कहा कि मैं यह नया आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम लागू करूंगा। महोदय, मैं बिहार से आता हूँ और मैं बिहार और सारे देश के ऐसे इलाकों को जानता हूँ जहां गरीबी इस तरह की है कि अगर तीन या चार महिलाएं किसी एक घर में रहती है तो उनको बाहर कर किसी आदमी से मिलना है तो एक वक्त में सिर्फ एक ही महिला बाहर आ कर मिल सकती है क्योंकि उनके पास एक जोड़ा ही कपड़ा है। वह अन्दर जा कर उसको उतार कर दूसरी को देगी तब वह बाहर आ कर आपसे मिल सकती है।

इस गरीबी की हालत में आप प्लास्टिक का आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते थे। वह आइडेंटिटी कार्ड कहां रखती। रहने को छत नहीं है। पहिनने को कपड़ नहीं हैं, पेट को दबाने के लिए टेक नहीं और रखने के लिए बक्सा नहीं। कहां रखेगी? आइडेंटिटी कार्ड को जब वह सुरक्षित नहीं रख सकती, फिर जब आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा सके तो वोट नहीं दे सकेंगे। अगर वोट देने भी जाते हैं तो वह महाजन जिसके माध्यम से बीज, खाद खरीदने के लिए पैसे उधार लेते हैं वह सारे के सारे आइडेंटिटी कार्ड्स बंधक के रूप में अपने पास रखवा लेगा। इसलिए यह प्रणाली लागू नहीं होती। 930 मिलियन पीपुल की कंट्री पर यह लागू नहीं होती। हममे हम भारतवासियों में सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे अंदर बहुत कुछ है। किंतु हम पश्चिम की परंपराओं को ग्रहण करने में एक क्षण भी नहीं चूकना चाहते। यही कारण है महोदय कि वह देश जहां पहला रिपब्लिक वैशाली में बना उस देश में लोगों को ब्रिटिश कंसेप्ट आफ डेमोक्रेसी को एडाप्ट करना पड़ा। क्या हम भूल गए चाणक्य की थ्योरी को, क्या हम भूल गए विष्णु स्मृति को जिसमें उन्होने गणराज्य की कल्पना लिखी हुई है। हमने उसका कोई संधान नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया। उसमें से कोई संधान नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया। उसमें से कोई खोज निकाल करके कोई ऐसा ड्राफ्ट तैयार नहीं किया कि हमारे राज्य में इस तरह का प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए — ऐसी

परंपरा हैं, हमारी संस्कृति हैं, हमारी सभ्यता है, हमारे पूर्व पुरुषों का ऐसा कहना है। पर हमने पश्चिम के डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडाप्ट किया। यह भी एडाप्ट किया और उन्ही का क्रिमिनल ज्योरिसप्रूडेंस एडाप्ट किया। हम उसी ढरें पर आज चले जा रहे हैं और चूक जाते हैं। कभी-कभी सुनने में आवाज आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम तो वहां चलता है जहां पर घ-घर में बिजली हो। पर यहां तो बिजली के नाम पर वोट लिए जाते हैं। यहां इतिफाक से बिजली मंत्री भी बैठे हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं। तब तक हमारे देश में निर्वाचन का सुधान नहीं हो सकता जब तक कि हम इस मैनीफेस्टों की प्रथा को बंद नहीं करेंगे। यह मैनीफेस्टो हैं क्या? यह इमोशनल इश्यूज हैं एट द कास्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर। कोई राज्य का नेता कह देता है कि मैं 2 रूपए के.जी. चावल दूंगा। प्रोक्वोरमेंट प्राइस 9 रूपए के.जी. हैं और 2 रूपये के.जी. चावल देंगे। तो 7 रूपए के.जी. नेशनल या स्टेट एक्सचेकर से देता है। यह क्या घूस नहीं है। यह क्या मन-भुलाने की बात नहीं है? उसी तरह से कोई निर्धारित कर देते हैं कि घर में बिजली बत्ती फ्री, किसी ने कह दिया हम 5 एच.पी. के मोटर तक बिजली फ्री देंगे। तो सारी बिजली फ्री, खाना फ्री, जूता-चप्पल फ्री, पहिनने का कपड़ा फ्री। एजूकेशन जो फ्री दी गयी है वह तो लागू नहीं होगी क्योंकि एजूकेशन की उस आर्टिकिल 45 में से शायद कुछ निकलता नहीं और इसमें से बहुत कुछ निकलता है। इन चीजों को हम नहीं बदलते। 50 से लेकर आज 98 हो गया। 47 से लिखें तो 98 हो गया। 50 वर्ष हो गए और 50 वर्ष में हम आज तक यह नहीं कर सके कि एक मताधिकारी एक वोटर वोट देने जाएगा तो अपना प्रतिनिधि चुनेगा। हम तो कहते हैं कि पापुलर गवर्नमेंट है। कैसी पापुलर गवर्नमेंट है? एक कांस्टीटुएंसि में 3 कैडीडेट खड़े हों। कैडीडेट नं. 1 को 40 परसेंट वोट मिले, जितने टोटल पोल हुए हों और वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। उसके खिलाफ और जो खड़े हैं उन दोनों को 30-30 परसेंट पड़े अर्थात् 60 परसेंट लोग उस पापुलर आदमी के खिलाफ हैं उस कांस्टीटुएंसि में और वह 40 परसेंट वाला निर्वाचित घोषित हो जाता है। जब तक हम दो पार्टी सिस्टम की कल्पना नहीं करेंगे इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे क्योंकि एक थ्योरी हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से और सीखी है, वह है डिवाइड एण्ड रूल की। वोटरों को हमने जाति, धर्म और भाषा के नाम पर डिवाइड कर दिया है और उसके बाद वहां से जो कैडीडेट अपने सलीके से आराम से निकाल जाता है उसको 2 या 3 परसेंट कैडीडेट से ज्यादा वोट मिल जाते हैं। पर आप अगर टोटल देखें तो 70 प्रतिशत लोग उसके खिलाफ हैं। किंतु उसके बावजूद वह उस इलाके

का प्रतिनिधित्व करता है। जलालुद्दीन अंसारी साहब बोल रहे थे कि मेम्बर को रिकाल करने की पावर होनी चाहिए।

रीकाल होने की पाँव कैसे होगा? रीकाल करने का पाँव जिस दिन जनता को मिल गया तो एक टर्म पाँच बार में वे पाँच प्रतिनिधि बदलेंगे। वह हर बार यही एक नया नारा लिखेंगे, "सब को परखा अब हमें परखो"। तो पाँच साल में पाँच परखे जायेंगे। पाँच साल में पाँच साल को परखने की बात मत सोचिए, आप इनको किस तरह से और पाँव दे सकते हैं वोटों को, जो कि वह सही तरीके से अपना प्रतिनिधि चुन सके। महोदय, चुन कैसे सकता है, 2 चुनावों का ब्योरा रामदास अग्रवाल जी ने दिया है। इन 12 चुनावों में मेरे ख्याल से 60 प्रतिशत से ज्यादा वोट नहीं पड़े। आश्चर्य है हमारी मशीनरी पर, वह कहती है जिस पोलिंग बूथ पर 80 प्रतिशत से ऊपर, 85 प्रतिशत से ऊपर वोट पड़ जाएं, तो उस पोलिंग बूथ का इलैक्शन कैसल कर दिया जाता है। यह कैसी परंपरा है, जहां 100 फीसदी वोट का मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार ही छीन लेते हैं? सिर्फ ट्राइबल इलाके में 90 परसेंट अगर वोट पड़ जाए तो उस पोलिंग बूथ का इलैक्शन कैसल नहीं होता, दूसरी जगह पर कैसल कर दिया जाता है। क्यों इसी उम्मीद पर बंधे हुए हैं हम कि 55 प्रतिशत या 60 प्रतिशत ही वोट आए तो वही पापुलर लीडर होगा, उस इलाके का प्रतिनिधि होगा। इसमें एक आमूल परिवर्तन की जरूरत है।

महोदय, जिस तरह से राघवजी ने कहा कि अंकुश लगाने की जरूरत है खर्च पर, तो यह एक अहम मुद्दा है। एक तो यह मैनिफेस्टों के थ्रू एक पार्टिकुलर क्लास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है, आप अगर देखें इनका स्टेटेस्टिक तो अर्बन वोटिंग विस-ए-विस रूरल वोटिंग, आपको जमीन-आसमान का फर्क नज़र आएगा। रिच वोटर्स वोटिंग एंड पूअर वोटर्स इनका अगर आप विश्लेषण करें तो इसमें भी आपको जमीन-आसमान का फर्क नज़र आएगा। महोदय, जागरूकता आने की जरूरत है। आप खर्च पर अंकुश मत लगाइये, आप मेंडेंटरी कर दीजिए कि हरेक वोटर, हरेक नागरिक, उसका धर्म है कि इस राष्ट्रीय पर्व में जाकर वह वोट डालेगा, तभी वह किसी राशनकार्ड का, किसी पासपोर्ट का या इन्कम टैक्स के सर्टिफिकेट का अधिकारी होगा। यह कंप्लसरी होना चाहिए। जब आप गाणतांत्रिक देश में रहते हैं तो उस देश में उसकी परंपरा को, उसके नियमों को पालन करना आपको जरूरी है, जिस तरह से रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसलिए हर पाँच वर्ष पर या जब भी चुनाव होता है तो अपना मताधिकार रजिस्टर करना उनका फर्ज है और राष्ट्रीय फर्ज है। वह राष्ट्रीय फर्ज पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब तक यह कंपलेशन नहीं होगा, तब तक हम इसमें

सुधान नहीं ला सकेंगे। क्यों नहीं ला सकेंगे, महोदय, मैंने जैसा बताया कि एक कंस्टीट्यूंसी में 40 प्रतिशत वोट उसको मिले और 60 प्रतिशत उसके खिलाफ हैं तब भी वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। पर महोदय, जो 40 प्रतिशत वोटर वहां गया ही नहीं और कल को क्रिटिसिज्म अगर होता है तो अखबारों में सब से ज्यादा बही लिखता है, कॉलम उसी के छपते हैं, लैटर टू द एडीटर उसी के छपते हैं, मेमोरेंडम राष्ट्रपति को या प्रधान मंत्री को या राजनैतिक नेताओं को वहीं भेजता है। उस मेमोरेंडम को जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि जिस दिन आदमी ने राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय पर्व चुनाव के दिन एक घंटा लाइन में खड़े होकर वोट देने को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी और पूरे पाँच वर्ष गवर्नमेंट के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ लिखता रहा, मैं समझता हूँ कि यह सारी लिखाई-पढ़ाई से जरूरी है कि जब अपना प्रतिनिधि चुनें तो आप अपने पोलिंग बूथ में जाकर अपना प्रतिनिधि चुन कर आएँ, तो मैं समझता हूँ कि सही दल और सही प्रतिनिधि यहां पहुंच पायेंगे और नहीं पहुंच पाने के कारण कुछ प्रलोभन हैं। वह प्रलोभन कुछ मैनिफेस्टो के माध्यम से आते हैं और कुछ मंडलों के माध्यम से आते हैं, टेकेदारों के माध्यम से आते हैं। इन प्रलोभनों का रोकना जरूरी है। दूसरी बात, डीलिटिमिशन कमीशन की बात यूनिफार्म साइज ऑफ कंस्टीट्यूंसी होना चाहिए। आज 543 लोक सभा की कंस्टीट्यूंसी है, किंतु मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से आकार है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता को बढ़ाने के लिए हरेक राज्य में नए जिले बना रहे हैं।

रोज अखबार में किसी न किसी राज्य की एक खबर छपती है कि वहां नए जिले बनाए गए हैं। इस का मतलब होता है वहां ज्यादा कलेक्टर लगाए जाएं ज्यादा एस.पी. लगाए जाएं, लेकिन वहां जन-प्रतिनिधि ज्यादा बनाए जाएं, ऐसी सोच नहीं है। आज एक लोक सभा मेंबर की कंस्टीट्यूंसी में 15 लाख वर्कर्स तक हैं। हमारे पावर मिनिस्टर की पिछली कंस्टीट्यूंसी सेलम थी और जिस में 2-3 जिले इन्वॉल्व थे और अगर यह चाहते भी तो 5 वर्षों में हर शनिवार-रविवार को घूमते रहकर भी पूरी कंस्टीट्यूंसी में नहीं घूम सकते थे पर 14-15 दिन के प्रचार में इन्होंने गली-गली घूमकर वहां के वोटर्स को जरूर यह आश्वासन दिया था कि मैं वापिस आरंगा और आप की गली, मोहल्ले, बस्ती और कॉलेज की प्रोब्लम को सुनूंगा। लेकिन महोदय इस तरह से प्रतिनिधि बदनाम हो जाता है और जनता के बीच अपना रिपोर्ट नहीं रख सकता है क्योंकि उस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। उसे कम करने के लिए यूनिफार्म साइज एण्ड यूनिफार्म पापुलेशन होने की जरूरत है और इस से

प्रतिनिधि का चुनाव प्रचार पर पैसा भी कम खर्च होगा।

महोदय, हम मेनिफेस्टों के माध्यम से कह देते हैं कि बिजली फ्री देंगे, दो रूपए के.जी. चावल देंगे, धोती देंगे, चप्पल देंगे और सब्सिडाइज्ड रेट पर ये चीजें देंगे, लेकिन उस से हमारे डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या राष्ट्र निर्माण के प्रोजेक्ट्स लड़खड़ा जाते हैं। महोदय, हम ने संविधान के माध्यम से देशवासियों को बहुत सारी कमिटमेंट्स दी हुई हैं कि हम इस संविधान के लागू होने के इतने वर्ष के अंदर ये-ये कार्य करेंगे, लेकिन हम अभी तक उन्हें पूरा नहीं कर पाए हैं। जो हमारे इनहरेण्ट कमिटमेंट टू द नेशन हैं, उन्हें पूरा नहीं कर सके हैं। महोदय, आज हम ने नेशन बिल्डिंग का काम छोड़ दिया है और नेशन मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, जब कि आज राष्ट्र-निर्माण के बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। यह भावना तभी जागेगी जब कि हम भावनाओं से जुड़े हुए इश्यूज को मेनिफेस्टो में न लाकर नेशनल प्रायोरिटीज को मेनिफेस्टो में लाएं। आज जरूरत इस बात की है कि सारे भारतवर्ष के राजनीतिक दल अर्थात् कन्या कुमारी से काश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक के सारे राजनीतिक दल बैठकर नेशनल प्रायोरिटीज बनाएं और उन्हें नेशनल एजेंडा में कनवर्ट करें और जब तक वह एक्जॉस्ट न हो जाए, जब तक जनता को वह चीजें उपलब्ध नहीं करा दी जाएं तब तक कोई भी इमोशनल एजेंडा या इमोशनल मेनिफेस्टो लागू करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को न हो। महोदय, आज इस संबंध में प्रावधान किए जाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर हमारे विदेश मंत्री दस्तखत कर आते हैं कि-

by 2000, health for all, job for all, education for all, house for all, shelter for all and justice for all और सारे-के-सारे नारे लगा आते हैं, पर क्या उस ओर अग्रसर हुए? क्या हम ने उस तरफ एक कदम भी उठाया है? अगर नहीं उठाया है तो मैं उस के लिए इस सौ दिन की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन मैं इस पूरी प्रणाली को जिम्मेदार ठहराता हूँ। जरूरत इस बात की है कि इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर हम जो कमिटमेंट देकर आते हैं उन की तरफ एक कदम जरूर उठाएं। महोदय, जिस दिन हम नेशनल प्रायोरिटीज सलेक्ट कर लेंगे, उस दिन इस देश का नागरिक सोचेगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए कौन सा दल या कौनसा प्रतिनिधि जागरूक होकर कुछ सटीक कदम उठा सकता है और वैसे ही प्रतिनिधि और वैसे ही दल को वह सामने लाएगा।

महोदय, रामदास अग्रवाल जी ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मुझे डर है कि अभी तक जो दूसरे प्रस्ताव और प्राइवेट मेंबर्स बिल का हश्र हुआ है, वह हश्र इस प्रस्ताव का भी न हों क्योंकि मेरा पिछले 12 वर्षों का यह अनुभव

हैं और मैंने देखा है कि मंत्री महोदय आते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा विधेयक बनाकर लाएंगे, इसलिए आप इसे विद्रुद्ध कर लें। हम मंत्री महोदय के सामने कह देते हैं कि ठीक है और अपना विधेयक या रिजोल्यूशन वापिस ले लेते हैं इस आशा से कि शायद ऐसा कोई विधेयक आएगा और हम चुप कर जाते हैं।

किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 12 वर्षों से मैंने यह देखा है कि कोई भी ऐसा विधेयक बनाकर सरकार द्वारा नहीं लाया गया। रामदास अग्रवाल जी ने जो यह पहल की है, मैं इनको जानता हूँ कि यह बड़े ही जागरूक सदस्य हैं, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है महत्वपूर्ण है, आज इनका दल अभी सत्ता पक्ष में है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक कदम उठाएं। आज डीलिटिमिटेड कमीशन की जरूरत है, आज पूरे रिफार्मस की जरूरत है। रिफार्मस पर तो बहुत सारी कमेटीयां बन चुकी हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी आज हमारे सामने पड़ी हुई है, वही लागू नहीं होती है। जब वह सदन में डाली जाती है तो देखा जाता है कि लोक सभा भंग हो गई।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं मानता हूँ कि हम जिस दिन राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलने लगेंगे, उस दिन सारी चीजों में सुधार हो जाएगा क्योंकि तब यह हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा और तब हम अपनी पार्टी का निर्माण नहीं, अपना व्यक्तिगत निर्माण नहीं, राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर हम अपने देश का निर्माण कर सकेंगे और अपने एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, रामदास अग्रवाल जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री रामदास अग्रवाल जी अपने दल में बहुत विशिष्ट ध्यान रखते हैं अपने प्रदेश में अपनी पार्टी के शायद अध्यक्ष भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह प्रभाव डालें अपनी सरकार पर, कि जो विचार यहां इस सदन में आए हैं, आज ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से चुनाव में सुधार की बात चल रही है, जो वर्तमान गृहमंत्री श्री आडवाणी जी हैं वह जब सदन के सदस्य थे तो उन्होंने भी बहुत विद्वतापूर्ण भाषण दिया था इस सदन में कि चुनाव कानून में सुधार होना चाहिए, तो मैं यही चाहता हूँ अग्रवाल जी से कि अगर आपकी सरकार बच रही है, कुछ दिन चल रही है तो आप सरकार को विवश करें कि जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए क्योंकि आज अस्थिर सरकारें हो रही हैं। आज सराकरों की आयु कम हो रही है और सरकारों की आयु कम हो जाने के कारण देश का

विकास नहीं हो पा रहा है, योजनाएं असफल हुए जा रही हैं, देश के अंदर नौकरशाही हावी होती चली जा रही है। यह दूषित चुनाव प्रणाली के प्रभाव के कारण हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सारे कामों को रोककर के चुनाव सुधार लागू करें।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश में चुनाव की व्यवस्था भारतीय संविधान और पीपुल रिप्रजेंटेटिव एक्ट यानि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत है। आज इन सभी व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं और जिनको कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। जैसे यह कहा गया है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर कोई वोट मांगता है तो उसका चुनाव अवैध हो जाएगा, लेकिन मंदिर बनाएंगे और मंदिर के नाम पर वोट लेकर कोई जीत जाता है तो उसका चुनाव क्या अवैध नहीं होना चाहिए? "शामलल्ला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे" नारा देकर चुनाव जीता जाए तो यह क्या गलत नहीं हो रहा ? इसलिए जो प्रावधान पहले से हैं, जो प्रोवीजन पहले से हैं, उन पर कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। कानून में यह है, संविधान में है, कि जो लोग क्रिमिनल नहीं बल्कि सजायाफता हों, जिनको सजा हो गई हो, उनका नोमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाना चाहिए, रद्द हो जाना चाहिए। रद्द नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक भद्र पुरुष को सजा दे दी, एक दिन की ही सजा दी उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं हुआ, एक प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। कहां कड़ाई से पालन हो रहा है? इसलिए आपके माध्यम से अग्रवाल जी से और श्री जार्ज साहब से, जार्ज साहब हमारे नेता रहे हैं, रिवोल्यूशनरी आदमी हैं, भाई सत्यपाल जी भी हमारे नेता रहे हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको थोड़े समय के लिए अवसर मिला है, लम्बा समय नहीं है, न जाने कब आपकी सरकार चली जाए, जितना समय मिला है उसमें आप कड़ाई करने की व्यवस्था करें।

बहुत सुझाव आए, सभी माननीय सदस्यों से बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। चुनाव के बारे में कहा गया है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। अब शायद ही कुछ प्रतिशत सीटों का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो रहा है। चाहे ताकत से, चाहे गुंडई से, चाहे बूथ कैप्चरिंग से, चाहे पैसे से, इन चीजों के कारण चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं।

मान्यवर एक परम्परा चल रही है आजकल डमी कैंडिडेट की। डमी कैंडिडेट के बारे में यह था कि अगर किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को टिकट दिया है तो उसमें एक दूसरे कैंडिडेट का भी नॉमिनेशन होता था कि बाई चांस अगर पहले वाले कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट

हो गया तो नम्बर दो वाला हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। टी.एन. शेषन साहब की बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ लेकिन मैं उनकी कुछ बातों की प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने कहा कि विधान सभा के चुनाव में पांच गाड़ियों से अधिक नहीं चलेगी। लोगों ने कहा कि ठीक है। चार आदमी खड़े कर दिए और चार आदमियों की बीस गाड़ियों और पांच गाड़ियों उम्मीदवार की कुल 25 गाड़ियां हो गई और टी.ए. शेषन साहब की योजना बेकार हो गई। उन्होंने कहा कि इतने पैसे की सीमा रहेगी — 6 लाख विधान सभा के लिए और 15 लाख लोक सभा के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे चार उम्मीदवार खर्च करेंगे 15-15 लाख, यानी 60 लाख यह खर्च करेंगे और 15 लाख हम करेंगे कुल 75 लाख हो गए, आपका कानून धरा का धरा रह गया। तो टी.ए.न, शेषन साहब ने बहुत सख्ती से फिजूल हो गई। इसलिए अब सरकार को इस तरह का कानून बनाना पड़ेगा ताकि यह डमी कैंडिडेट की परम्परा खत्म हो सके। सभी माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि निर्दलीय उम्मीदवार की जमानत की राशि बढ़ाई जा सके, आप इसे चाहे 20 हजार कीजिए या 25 हजार कीजिए। दूसरे यह करना पड़ेगा कि जितने वैध मत हैं अगर उसका 1/25 से भी कम उम्मीदवार को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए क्योंकि कुछ लोग तो शैकिया चुनाव लड़ते हैं और कुछ इसलिए लड़ते हैं कि जो पैसे वाला कैंडिडेट है, वह हमको कुछ पैसा देगा और हम बैठ जाएंगे। अब अगर पैसा नहीं मिला, तो वह चुनाव लड़ा और उसने उसके 3000 वोट काट दिए और पता चला कि 200 वोटों से उस कैंडिडेट का चुनाव प्रभावित हो गया। महाराष्ट्र से मुम्बई शहर में एक साहब जीते 153 वोट से, प्रधान जी को जानकारी होगी। केवल 153 वोट से जीतकर लोक सभा में आ गए। एक जगह से 500 वोट से जीतकर उम्मीदवार लोक सभा में आ गए। यह डमी कैंडिडेट लोग टोटल 10,15,20 हजार तक वोट काट देते हैं। इसलिए, मान्यवर, मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि व्यवस्था करनी पड़ेगी जमानत की राशि बढ़ाने के लिए और इसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि 1/20 या 1/25 जो भी सरकार निर्धारित करे या जो भी उचित हो, इससे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को मतगणना के दिन ही अरेस्ट करके और मतगणना केन्द्र से ही उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। यह स्टैंडिंग लॉ इस देश का होना चाहिए। तब जाकर वोटों का बंटवारा रूकेगा। महोदय, इस देश में परिसीमन नहीं हुआ। यह 1974 में हुआ था। उसके बाद 1984 में परिसीमन होना चाहिए था, डि-लिमिटेशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ।

श्री श्याम लाल शकधर इस देश में चुनाव आयुक्त थे। मैंने उनके सुझावों को पढ़ा। एक अखबार में आया था जो उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिए थे। उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया कि अब डि-लिमिटेशन करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि जो सीटें रिजर्व हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वे 20 साल, 25 साल से रिजर्व पड़ी हुई हैं और उनको जनरल सीट में नही बदला जा रहा है। इसका प्रभाव यह हो रहा है कि वहां के लोगों की वोट देने की मानसिकता घटती जा रही है। वोट देने में उनकी रूचि नहीं रह गई है। और उस क्षेत्र का आदमी अगर चुनाव लड़ना चाहे अपने क्षेत्र से तो वह नहीं लड़ पाता है। इसलिए उसका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि जो 2 कांस्टीट्यूटिव सीटें आपस में लगी हुई है, उनको रिजर्व न किया जाए। अगर आंकड़े उठाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि जो रिजर्व कांस्टीट्यूटिव सीटें हैं, उनका परसेंटेज ऑफ वोट हर चुनाव में घटता जा रहा है। जिस सरकार के सामने शकधर जी ने यह सुझाव दिया था, हम लोग भी उस सरकार में थे लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जब इधर बैठते हैं तो सभी लोग सुझाव दिया था, हम लोग भी उस सरकार में थे लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब इधर बैठते हैं तो सभी लोग सुझाव देते हैं। मैं गृह मंत्री आडवाणी जी की प्रशंसा करूंगा कि बड़ा विद्वतापूर्ण भाषण उन्होंने दिया कि यह चुनाव सुधार होने चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा अग्रवाल जी को और आडवाणी जी को आज सबसे प्राथमिकता का काम है इन चुनाव सुधारों को करना।

महोदय, एक दूसरी समस्या यह है कि एक बाहरी दिल्ली क्षेत्र है और एक नई दिल्ली क्षेत्र है। जहां का श्री कृष्ण लाल शर्म जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दो बार से, वहां 30 लाख वोटर्स हैं, बाहरी दिल्ली में और इसी देश में लक्षद्वीप हैं जहां वोटर्स की कुल संख्या 26,000 हैं। लक्षद्वीप के वोटर्स की संख्या तो नहीं बढ़ाई जा सकती लेकिन बाहरी दिल्ली चुनाव क्षेत्र के वोटर्स की संख्या तो कम की जा सकती है, घटाई जा सकती है। क्या कोई लक्ष्मणरेखा खींची गई है कि हमारी लोक सभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है, हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, विधान सभा के सदस्य संख्या को बढ़ाएंगे नहीं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मणरेखा खींचने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि 30 लाख वोटर्स जहां मतदान करेंगे वहां यह आशा की जाए कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो जाएगा, यह संभव नहीं है। वहां के जनप्रतिनिधि के लिए भी यह संभव नहीं है कि जहां मतदान करेंगे वहां यह आशा की जाए कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो जाएगा, यह संभव नहीं है। वहां के जनप्रतिनिधि के लिए भी यह संभव नहीं है कि जहां 30 लाख मतदाता हैं, वह उनसे संपर्क रखे और उनकी समस्याओं को सुने और हल करे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इस संख्या को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़े, पीपुल्स

रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में संशोधन करना पड़े तो उसमें सरकार को जरा भी हिचक नहीं करनी चाहिए। संख्या बढ़े, कोई परवाह नहीं है यह जरूरी नहीं है कि अभी जो संख्या है, हम उसी को रखें। वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं और अब क्षेत्रों में सामंजस्य नहीं रह गया है। लोक सभा और विधान सभा क्षेत्रों की सीमाएं अब कहीं — कहीं बहुत लंबी — लंबी हो गई हैं जो भौगोलिक दृष्टि से भी असुविधाजनक हैं। इसलिए सरकार को डि-लिमिटेशन का काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में इस बारे में एक प्रस्ताव आया था लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ।

म.प. 4

अब चुनाव में भ्रष्टाचार होता है, धन का प्रयोग किया जाता है, लोगों को घुड़की-धमकी दी जाती है और कहीं-कहीं तो बाहुबली उम्मीदवार हैं और वह गांव में चला गया और बोल दिया कि हमको आप वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हां साहब, आपको ही वोट देंगे। फिर वह उम्मीदवार कहता है कि अगर हमको वोट देना है तो कल वोटिंग स्टेशन पर मत आना और डर के मारे उस गांव के मतदाता नहीं जाते हैं और वोट फर्जी पड़ जाते हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बूथ कैपचरिंग के बारे में कानून बना हुआ है कि मतदाता हैं वहीं जाकर मतदान करेगा दूसरा नहीं करेगा। अगर दूसरा करता है तो गलत है। (समय की घंटी) बस, दो — तीन मिनट मान्यवर, आपकी तो बहुत कृपा रहती है।

अब कानून है कि जो मतदाता है वही वोट करें। लेकिन जब सही मतदाता वोट डालने गया तो पता चला कि उसका वोट पड़ गया है। इसका कारण क्या है? कानून तो है व्यवस्था नहीं हो पाती। व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाती है कि पोलिंग स्टेशन पर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स रख दिए जाते हैं, लेखपाल रख दिए जाते हैं, और चाहे कितने सेंसेटिव पोलिंग स्टेशन की सूची उम्मीदवार दे कि यहां पर मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे तो सरकार एक सिपाही और एक होमगार्ड रखती है। हम उत्तर प्रदेश को जानते हैं, दूसरे प्रदेश की नहीं जानते। वहां एक सिपाही और एक होमगार्ड की व्यवस्था होती है और कह दिया कि सेंसेटिव पोलिंग स्टेशन है, सम्बेदनशील मतदान केन्द्र है तो व्यवस्था में अधिक से अधिक एक या दो सिपाही और बढ़ा दिया गया। अब एक सिपाही है, एक होमगार्ड है, प्राइमरी स्कूल का टीचर मतदान अधिकारी है और उम्मीदवार बाहुबली है और हथियारबंद है, तो कहां से निष्पक्ष मतदान हो जाएगा। सारे वोटर्स भाग जाते हैं, दो-चार लोगों को उन्होंने बैठा दिया और सब फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से

विचार करना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए कड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मान्यवर, अहलुवालिया जी कर रहे थे, राघवजी भी कह रहे थे, मैं भी सहमत हूँ कि वोट का परसेंटज घटता जा रहा है। ठीक हैं, देश का ऐवरेज 50 परसेंट आ जाता है। कभी-कभी 60 परसेंट भी हुआ था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 7 विधान सभा के उपचुनाव हुए एक-डेढ़ महीना पहले। 36 परसेंट वोट पड़ गया, 35 परसेंट वोट पड़ गया और जहां ज्यादा पड़े वहां 45 परसेंट वोट पड़ गया। आज बहुमत के लोग मतदान करने नहीं जा रहे हैं। उम्मीदवार लाख प्रयास करें, हाथ-पैर जोड़े, आदमी लगाए उनको निकालने के लिए परन्तु वह नहीं निकलते हैं वोट देने के लिए। इसलिए मेरी भी यह राय है कि इसके लिए कानून में कोई पैनाल प्रोविजन करना पड़ेगा। कानून में इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर बहुत मजबूरी नहीं है, बीमारी नहीं है, आदमी कहीं बाहर है, अपरिहार्य कारण हैं तो इन अपवादों को छोड़ करके वह मतदान में भाग ले और जो मतदान करने नहीं जाते हैं उनके लिए भी कुछ सजा की व्यवस्था होनी चाहिए, जुर्माने की व्यवस्था होनी चाहिए जेल की सजा भले न हो। जुर्माने में अगर सौ रूपए की भी व्यवस्था कर दी जाए तो परसेंटज आफवोट बढ़ जाएगा और जब परसेंटज आफवोट बढ़ेगा तो जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा शायद वह बहुमत का उम्मीदवार होगा और ज्यादा लोगों को वह प्रिय नेता हो सकता है। आज जिस तरह की परम्परा हो गई है—भय का, दोहन का, पैसे का बूथ कैपचरिंग का यह सब वोटर्स को भयभीत कर रहा है। वोटर्स को एक आलस्य भी भयभीत करता है और वह वोट डालने के लिए नहीं जाता है। इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मान्यवर, चुनाव सुधारों के बारे में सरकार ने संभवतः कई बार कमेटी बनाई। गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट भी आई हैं। स्वर्गीय गोस्वामी जी इस सदन के भी सदस्य थे, लोक सभा के भी सदस्य थे और वह मंत्री भी रहे थे। गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? गोस्वामी रिपोर्ट आने के बाद कई सरकारें आईं और कई सरकारें चली गईं। इसीलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कि इस पर गंभीरता से विचार करें।

गोस्वामी रिपोर्ट हैं, तमाम कमेटीयों की रिपोर्ट हैं, दोनों सदनों में बार-बार जो चर्चाएं हुई हैं और फिर सरकार एक कमेटी बना दें और इस पर गंभीरता से विचार करके सरकार को चाहिए कि तत्काल चुनाव प्रक्रिया में, इलेक्शन के तरीके में सुधार इस तरह से किया जाए कि इस देश का चुनाव निष्पक्ष हो सके, स्वतंत्र हो सके और जब निष्पक्ष और स्वतंत्र होगी, प्रबल

होगी और जनतंत्र हमारा आगे बढ़ेगा।

मान्यवर, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ और मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। एक व्यवस्था और करनी पड़ेगी इस सरकार को कि जिसके ऊपर सरकार कहती है कि जो सजा पाया हुआ आदमी है, वह चुनाव नहीं लड़ेगा और सजा में भी इम्मॉरिल टरपीट्यूड कह दिया गया, अनैतिक अपराध कहा गया। अब अनैतिक अपराध की भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का अलग-अलग डेफीनेशन हो गई और अनैतिक अपराध करने वाले जो लोग हैं, वे चुनाव जीत रहे हैं और वे चुनाव जीत जाएं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में 18-20 लोग ऐसे हैं, आज उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है। राजधानी लखनऊ में औसतन दो हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं, दो दिन के अंतर पर दो बैंक लूटे गए, एक परसों लूटा गया। जो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का लोक सभा क्षेत्र है, वहां दो दिन में दो बैंक डकैतियां और प्रतिदिन दो हत्याएं हो रही हैं और यह निर्विवाद है कि सारे जो हार्डअन्डर क्रिमिनल्स हैं, वे मंत्री लोगों के यहां शरण लिए हुए बैठे हैं। क्या आपके पास संख्या की कमी है? आप क्यों ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दे रहे हैं? उनको क्यों चुनाव का टिकट दे रहे हैं? इसलिए अगर इस देश की जनतंत्र को मजबूत करना है, इस देश में अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष विधायिका कायम करनी है तो राजनीतिक दल के लोगों को भी हम लोगों को भी चाहें जिस भी दल के हों, इसमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी कि स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट दिया जाए और स्वच्छ छवि के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए।

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ और पुनः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार तुरंत चुनाव सुधारों के बारे में एक व्यापक कानून, एक व्यापक विधेयक पेश करे और संसद से पास कराए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान) : महोदय, जिस चुनाव व्यवस्था ने इस देश को पिछले पचास वर्ष में छोटी सी ढाणी, गांव से लेकर शहर और कस्बे के लोगों को बांट दिया जाए और देश में ऐसे हालात आकर खड़े हो गए कि आज देश में ऐसे हालात आकर खड़े हो गए कि आज देश की सम्पूर्ण शक्ति, मानव शक्ति एक-दूसरे से विरुद्ध अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग कर रही है और देश के निर्माण का हम नारा लगाते हैं, ऐसी चुनाव प्रक्रिया के बारे में माननीय रामदास अग्रवाल जी ने एक संकल्प पेश किया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद अर्पित करता हूँ। जब यह संकल्प पेश हुआ तो मैंने यहां की लाइब्रेरी में पिछले पचास वर्षों के अनेक संकल्प, अनेक भाषण, अनेक घोषणाएं, उन सबको पढ़ने का ऊपरी तौर से प्रयास

किया और जितनी घोषणाएं की गईं, जितने वादे किए गए, उन सबके बाद मुझे एक कवि की कविता की चार पंक्तियां याद आती हैं:-

“कुछ हकवादी कहते हैं बदलाव हम लाएंगे,
और कुछ लट्टवादी कहते हैं बदलाव हम लाएंगे,
और कुछ बकवादी कहते हैं बदलाव हम लाएंगे,

हमने जिसको चुनकर कुर्सी पर बैठा दिया, वह मुड़कर कहने लगा-

पहले तुमको खाएंगे और फिर बदलाव लाएंगे।

पिछले पचास वर्षों में क्या कोई ऐसा अवसर नहीं आया, क्या हमने कभी यह अनुभूति नहीं की कि इस चुनाव प्रक्रिया ने ग्राम पंचायत से लेकर, पंचायत समिति से लेकर, जिला परिषद से लेकर विधान सभा और लोक सभा के चुनाव में कितने लोगों के बीच कटुता पैदा की होगी? हमारे हिन्दुस्तान की जीवन-पद्धति को समझे बिना हमने बाहरी देशों की नकल करके अपनी चुनाव पद्धति में कुछ प्रावधान किए और नकल उनकी की जिन्होंने हमें गुलाम की तरह रख कर हमारे ऊपर शासन किया, हमें गुलाम बनाया। उनके यहां की शासन-व्यवस्था की हमने नकल की। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पिछले दिनों हिन्दुस्तान के अखबार में यहां से जाते-जाते 1947 के आखिर में अंग्रेजी शासन के जो प्रमुख थे, उनकी शिक्षा नीति के बारे में एक रिपोर्ट जो उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को प्रस्तुत की, उसका एक अंश में आपको उद्धृत करना चाहता हूँ।

उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हम यहां से विदा लेने जा रहे हैं पर हमने हिन्दुस्तान में जो शिक्षा पद्धति लागू की, इस शिक्षा पद्धति से जो लोग हिन्दुस्तान के अंदर पैदा होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी शिक्षा पद्धति पूर्णतया सफल हुई है और उसमें राष्ट्र-भक्त तथा अनुशासित व्यक्ति पैदा नहीं हो सकते। महोदय, दुर्भाग्य यह है कि पचास साल तक हम उस व्यवस्था का अनुसरण करते रहे-चाहे चुनाव प्रक्रिया हो, चाहे जीवन की पद्धति हो—जब हिन्दुस्तान की जीवन पद्धति के विपरीत कोई योजना बनेगी, कोई कानून बनेगा तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे पहले सदन से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय अग्रवाल जी ने जो संकल्प पेश किया है भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय ऐजेंडा में जो इच्छा शक्ति व्यक्त की कि हम चुनाव में सुधार करेंगे- उन्होंने बार-बार एक बात कही कि हम चुनाव में सुधार करेंगे-उन्होंने बार-बार एक बात कही कि हम भारत के संपूर्ण लोगों की इच्छा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण में किस प्रकार से सुधार करें ताकि सही प्रतिनिधित्व हो,

लोकतंत्र भी हो, लोगों के मत की भी मंशा पूरी हो जाए-यही मंशा भारत के संविधान की है। मैं जरा एक ढांचे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारा चुनाव का ढांचा कैसा है? इस देश के अंदर अगर हम ध्यान करें तो लगभग 176 पार्टियां हैं। सात राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राज्य स्तर की 30 पार्टियां हैं, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त 139 हैं-कुल मिलाकर 176 राजनैतिक दल चुनाव के मैदान और दंगल में उतर रहे हैं और यहां पर 543 सीटों के लिए 4,750 लोगों ने कुछ दिनों पहले 1998 में चुनाव लड़ा। एक कॉन्स्टीट्यूट्री में कही दो प्रत्याशी थे तो कहीं 34 तक भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गये। मैं उन विसंगतियों की और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लगभग 60 करोड़ 23 लाख 40 हजार 382 मतदाता हैं। इतना बड़ा देश है। मतदान हुआ 37 करोड़ 36 लाख 78 हजार 215 का, यानी 62.04 परसेंट और 76 लाख 54 हजार 073 मतदान केन्द्रों पर मतदान हुआ। कितना बड़ा देश है? इतने बड़े देश की चुनावी व्यवस्था में जब तक मूलभूत रूप से हम परिवर्तन नहीं करेंगे तक तक हमको परिणाम उसके अनुरूप नहीं मिल सकते। महोदय, पार्टियों की स्थिति क्या है? राष्ट्रीय पार्टी ने तो उतारे-1483, राज्य स्तर वाले आए 465 प्रत्याशियों के साथ, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों ने चुनाव लड़ा 860 प्रत्याशियों के साथ और निर्दलीय हो गया 1900 प्रत्याशी। महोदय, अब जमानत जब्त होने का नमूना मैं अर्ज करना चाहता हूँ—सदन समग्र रूप से इस संकल्प के ऊपर विचार करे, माननीय अग्रवाल जी का संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पार्टी के 632 लोगों की जमानत जब्त हो गयी, राज्य स्तर की पार्टी के 203 प्रत्याशी जमानत गंवा चुके, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के 734 और निर्दलीय 1900 खड़े हुए जिसमें से 1883 की जमानत जब्त हो गयी। कुल मिलाकर जो हमारे 4,750 प्रत्याशी थे, उनमें से 3,452 की जमानत जब्त हो गयी। यह है चुनाव की प्रक्रिया, यह है चुनाव का तरीका। इसकी एक ओर विसंगति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ-पार्टी की बात से ऊपर उठकर। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर 9 करोड़ 33 लाख 70 हजार 518 वोट मिले जो कि टोटल मतदान का 25.47 प्रतिशत था। उसने अपने 384 कैडीडेट खड़े किये और 179 जीत गये। बीच में और चुनाव हुए, वह आंकड़े बाद के हैं। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस को मत मिले 9 करोड़ 48 लाख 70 हजार 127 और उसका प्रतिशत हुआ 25.88 जब कि हमको मिला 25.47 परसेंट। हमारी सीटें हो गयी 179 और कांग्रेस की रह गयी 141। यह कैसा मतदान है, कैसा परिणाम है, इस पर कब विचार करेंगे, कौन विचार करेंगा? यह विषय इसलिए सोचने के लिए आवश्यक हो गया है। केवल

इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टियों के 1483 प्रत्याशी लड़े उनमें से 384 विजयी हो गये। उनको टोटल मिलाकर 67.89 परसेंट वोट मिले। राज्य स्तर की पार्टी के 465 लोगों ने चुनाव लड़ा, उसमें से सौ विजयी हुए और 18.81 परसेंट वोट उनको मिल गये। पंजीकृत दल जो गैर मान्यता प्राप्त थे, उनके 807 लोगों ने चुनाव लड़े, 49 विजयी हुए और उनको टोटल 10.83 प्रतिशत मत मिले निर्दलीय में 1900 लोगों ने चुनाव लड़ा, विजयी केवल 6 हुए और उनको 2.37 प्रतिशत वोट मिले।

यह हैं हमारे चुनाव परिणाम की स्थिति। इसलिए क्यों नहीं चुनाव सुधार की दृष्टि से इस पर समग्र रूप से विचार करें? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जब तक हम सतत प्रक्रिया को नहीं अपनायेंगे तब तक चुनाव सुधार नहीं हो सकता है। ब्रिटेन के अन्दर 18वीं और 19वीं शताब्दी के अन्दर चुनाव में बहुत भ्रष्टाचार था, परन्तु मुझे जैसी रिपोर्ट्स मिली हैं उनके अनुसार पिछले 60-70 वर्ष के अंदर ब्रिटेन में किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव याचिका में भ्रष्टाचार के आचरण अपनाने का आरोप नहीं लगाया गया है। आखिर उन्होंने सतत प्रक्रिया को अपनाया है और हमने क्या अपनाया है? हमारे यहां 99 परसेंट इलेक्शन पेटिशनों के अन्दर जो आरोप लगते हैं वह मेल प्रक्टिस और करप्ट ऐलिंगेशन के लगते हैं इसलिए चुनावी सुधार की महती आवश्यकता है।

महोदय, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे यहां चुनाव सुधार के लिए कोई स्थाई संसदीय समिति है? मैं मांग करना चाहता हूँ कि हमारे यहां स्थाई संसदीय समिति चुनाव सुधार की दृष्टि से होनी चाहिए और वह निरन्तर इस पर विचार करे, हर वर्ष विचार करे। केवल इतना ही नहीं हो, बल्कि चुनाव सुधार की दृष्टि से एक आयोग भी बने और निरन्तर इस पर विचार करे, हर वर्ष विचार करे। केवल इतना ही नहीं हो, बल्कि चुनाव सुधार की दृष्टि से एक आयोग भी बने और निरन्तर उसका परीक्षण करने का काम, समीक्षा करने का काम हो और उसकी रिपोर्ट सदन में रखी जाए यह स्थाई समिति सुनिश्चित कर ले और संसद के हर वर्ष चुनाव सुधार में जो छोटी-छोटी कमियां हों, न्यूनताएं हों, उनको दूर करे। आज जनता का विश्वास नेताओं के ऊपर देश की जनता भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी चुनाव प्रक्रिया बनकर के खड़ी हो गई है। इसीलिए 1970 में श्री वाजपेयी ने एक प्रस्ताव रखा था तब लॉ मिनिस्टर श्री गोबिन मेनन साहब थे, उन्होंने कहा था कि हर चुनाव के बाद में लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति, विधान सभाओं के अध्यक्षों के साथ बैठकर के चुनाव सुधार के बारे में, चुनाव में होने वाली न्यूनताओं के बारे में विचार करें, पर उसके बारे में विचार नहीं हुआ, उसके ऊपर क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दो तरह की बातें हैं। एक है वर्तमान चुनाव

प्रणाली के रहते हुए हम कुछ सुधार कर लें और दूसरा यह है कि चुनाव प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करके नई चुनाव प्रक्रिया का प्रारम्भ करें। उसके लिए नई चुनाव प्रणाली बने। मैं दोनों तरह के सुझाव आपके सामने संक्षेप में देना चाहूंगा। सभी राजनीतिक दल इन कमियों से परिचित हैं। आज जो सहमति व्यक्त की गई माननीय अग्रवाल जी के संकल्प के बारे में, सभी पार्टियों के लोगों ने सहमति व्यक्त की। क्या कारण है कि पहले तो वोट पड़ते हैं 50 परसेंट, 40 परसेंट और उनमें से भी मिले 20 परसेंट और जीतकर के आ जाए तो कहते हैं कि हम बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा एक निवेदन यह है कि इस प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा।

महोदय, मैं एक निवेदन पुनरसीमन के बारे में करना चाहता हूँ कि आखिर क्या बात है, पहले 1952 में 489 लोक सभा की सीटें थीं, उसके बाद बढ़ाकर उनको 543 कर दिया गया तो एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा निवेदन है कि जब देश की जनसंख्या बढ़ गई है तो क्या लोक सभा की सीटों की संख्या 650 नहीं हो सकती है? जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से ब्रिटेन की नकल करनी हो तो ब्रिटेन के भी हाउस ऑफ कामन्स की संख्या 650 है उसमें भी कहीं ऐसा नहीं है कि संख्या सीमित हो गई हो। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही हमारे राज्यों का विधान सभाओं और विधान परिषदों की सीटों की संख्या और लोक सभा तथा राज्य सभा की सीटों की संख्या भी उसी अनुपात के अनुसार प्रति वर्ष हमें बढ़ानी चाहिए। यह आवश्यक प्रतीत होता है।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जनता ने अपने प्रतिनिधियों को पांच साल के लिए चुना है तो किसको अधिकार है कि उस को पांच साल के पहले घर भेजने का। मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता के ऊपर कौन हैं? मेरा निवेदन है कि जब जनता ने पांच साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया तो किसी को भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसके पीरिएड में कमी हो। अगर हमको चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है तो मेरा निवेदन यह है कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम पुनर्विचार करें। 50 साल में हमने सब परीक्षण कर लिये। एक मूल मंत्र है। चाहे गोरखनाथ का केस हो, चाहे केशचान्द भारती का केस हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा कि हम मूल रूप से उसको छोड़ कर के बाकी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए चुनाव प्रक्रिया में हमारे सभी लोगों का, हमारी जनता का वोट पड़े, इसको हमें आंकना चाहिए। मेरा निवेदन है कि अब राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

गांव-गांव के नहीं बटेंगे। गांव-गांव में जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर गांव के जो बंटवारे से बचना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण की बात करना चाहिए। आखिर चुनाव किस लिए करते हैं? क्या 700 लोगों के लिए करते हैं? 90 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला हम अपने लिए कर लेंगे? हमें जहां सुविधा लगे, हम जैसे जीतकर आ सकते हैं वैसा ही विचार करेंगे।

मेरा एक निवेदन यह है कि राजनेता और कूटनीतिज्ञ आने वाली जनरेशन और राष्ट्र की बात करते हैं वे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह समय ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह समय हैं, मरने के बाद जिंदा रहने की कला अपनाइये और चुनाव की ऐसी प्रक्रिया अपनाइये कि देश टूटने से बच सके, या गांव ठीक से बच सके, ऐसा मेरा निवेदन है। यदि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में दिक्कत आती हो तो फिर सूची प्रणाली क्यों न हो। पार्टी दे दस नाम एक कॉन्स्टिट्यून्सी के लिए, हो जाए मतदान और जितने वोट पड़ें उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व सबको मिले। मैंने अभी कांग्रेस और बीजेपी का उदाहरण दिया मतों की संख्या देकर के। कम्युनिस्ट पार्टी भी होगी, अन्य राजनीतिक दल भी होंगे, क्षेत्रीय दल भी होंगे, निर्दलीय भी होंगे, जिसको जितने वोट मिलेंगे उतने प्रतिनिधित्व हो जाएंगे। इससे बड़ा डेमोक्रेसी का और तरीका क्या होगा, प्रतिनिधित्व का इससे श्रेष्ठ तरीका और क्या हो सकता है? हिन्दुस्तान की जनता से जितने वोट जिसको दिये उतने प्रतिनिधि उनके संसद में आ जाएं। मेरा एक निवेदन है कि उससे भी हम बहुत बड़ी बाधाओं और न्यूनताओं से बच सकेंगे।

दो निवेदन और करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक निवेदन है कि दलबदल कानून जो हमारा परिशिष्ट है, जो हमने बनाया है यह बहुत ही अप्रभावी है, बड़ा डिफेक्टिव है। राजनैतिक दल भी विरोध कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नेशनल हीरो बन रहे हैं और सदन के अंदर आकर पार्टी का उल्लंघन न हो जाए इसलिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। यह क्या बात हुई? आखिर राजनैतिक विचार को छोड़ना है तो अपनी सीट को भी छोड़ दें। मैं अपनी बात को संक्षेप में समाप्त करता हूँ। यह जो स्पिलिट ऑफ पार्टीज वाली बात है, एक उदाहरण तो ऐसा भी है कि स्पीकर स्वयं भी दल बदलकर के चले गए। ये हमारे इतिहास के अंदर आंकड़े उपलब्ध हैं। और स्पीकर ही फैसला करने लग जाए कि स्पिलिट कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, उसके मन में चीफमिनिस्टर बनने की इच्छा हो जाए तो क्या हाल होगा इसका? कैसी स्थिति बनेगी स्पिलिट की? इसलिए मेरा निवेदन है कि बिल्कुल पिन प्वाइन्टेड इतना कारगर कानून बनाना चाहिए जिसके अंदर आम आदमी का विश्वास खड़ा हो। चुनाव

याचिकाओं पर पांच साल तक फैसला नहीं होते हैं चुनाव याचिकाओं के निपटारे के लिए हमको एक ऐसा अभिकरण बनाना चाहिए जो निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने या साल भर के अंदर उसका फैसला कर लें वरना इन्फ्रक्टुअस होगी, सारी की सारी याचिकाएं प्रभावहीन हो जायेगी।

मेरा आखिरी निवेदन है कि 200 करोड़ रूपए की इलैक्ट्रॉनिक्स मशीनें पड़ी हैं मतदान के लिए, इनका हस्त क्या है? उनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? 1500 करोड़ रूपए हमने मतपत्र, परिचयपत्र के लिए दिए, उसका उपयोग क्यों नहीं होता है? उसके भी उपयोग करने की आवश्यकता है। सेना, सेवा, अर्ध-सैनिक बल और ड्यूटी पर जाने वाले लोगों के मतदान की भी कोई व्यवस्था हो। जो डाक से आने वाले मत हैं उनमें 70 परसेंट बैलेट रिजेक्ट हो जाते हैं, लिफाफेके अंदर नहीं हैं, लिफाफेके बाहर हैं, लिफाफा वैसा नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यहां सरकार के लोग बैठे हैं। यह माननीय रामदास जी का गैर सरकारी संकल्प है। मैं सारे सदन से निवेदन करूंगा कि शासन के लिए एक बात कहीं है और जीवन पद्धति के लिए, प्रमुख लोगों के लिए एक बात कहीं है सचिव, शासन, वेद और चिकित्सक।

सचिव, वेद, गुरु तीन ये जो बोले भयन्नास, राज, देह अरौ धर्म को होवै वेगोहो नाश।

यदि शासन, चिकित्सक और प्रेरणा देने वाले गुरु अगर भय और त्रस्त हो गए और अगर चुनाव में यह सुधार कर देंगे तो यह मानकर चलें कि तीनों का नाश होने वाला है। इसलिए सदन में आने वाले लोग चुनाव प्रक्रिया को परिवर्तित करने के लिए यदि चिंतित नहीं हैं और उससे डरते हैं कि मैं जीतकर आऊंगा, क्षमा कीजिए सम्पूर्ण प्रणाली में बहुत बड़ी हानि होने वाली है और हम देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। राष्ट्रीय ऐजेंडे में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और सहयोगी दलों ने इच्छाशक्ति प्रकट की है कि हम चुनाव प्रक्रिया में सुधार लायेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार उस पर खरी उतरेगी। मैं अग्रवाल जी आपको फिर साधुवाद अर्पित करता हूँ कि आपने एक ऐसा सामयिक संकल्प आज यहां प्रस्तुत किया है और सरकार से भी निवेदन करूंगा क्योंकि पहले भी हुआ है और संकल्प को सरकार ने स्वीकार किया है, श्री कुमारमंगल साहब यहां विराजमान हैं, मैं कहना चाहूंगा कि पहले भी दिनेश गोस्वामी जी ने माननीय आडवाणी जी के गैर सरकारी संकल्प को स्वीकार किया।

वे यह कहें कि हम इसके अंदर सुधार करेंगे। आज भी भारत सरकार के मंत्री महोदय सदन में विराजमान हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वह रामदास अग्रवाल जी के संकल्प

को स्वीकार करें ताकि यह कार्यान्वित हो सके। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश प्रधान : (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी(व्यवधान)....

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): रामदास अग्रवाल जी द्वारा संकल्प को वापस लेने का मुझे आभास हो रहा है क्योंकि विधि मंत्री जी उनको समझा चुके हैं।

श्री बाल कवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : मंत्री जी की अपनी कठिनाईया है। लेकिन शायद मंत्री जी उनकी बात मानकर हां भर दें।

कुमारी उमा भारती : इस संकल्प की भी वही दुर्दशा होने वाली है जो अभी तक हो रही थी। जो पिछले 50 सालों से होती जा रही है।

श्री सतीश प्रधान : उपसभाध्यक्ष जी, सदन में रामदास अग्रवाल जी जो संकल्प लाए हैं मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। इसमें इन्होंने खासतौर पर तीन बातों को लाने की कोशिश की है। उन्होंने जो हमारा डेमोक्रेटिक सेट-अप है उसको सशक्त बनाने की आवश्यकता महसूस की है, ऐसा इस बिल से दीखता है। हमारे जो इलेक्शन होते हैं वे फ्री और फेयर होने चाहिए यह भी उन्होंने कहा है। यह बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में जो भी हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं, वह फ्री और फेयर तरीके से होते हैं, ऐसा कहीं भी महसूस नहीं होता। इसलिए हमें अन्तर्मुखी होकर इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम इसे ऐसा ही चलने देंगे या इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस विषय पर हम सब लोग कांसेसस से, एक साथ बैठकर अलग से इस पर विचार करने की सोच सकते हैं या नहीं यह हमें देखना है। इसके लिए हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विचार करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। यह बात बिल्कुल सही है कि हम आज की तारीख में जहां भी चुनाव होते हैं जब वहां जाते हैं तो वहां मनी पावर देखते हैं और मसल पावर भी जगह जगह पर हमें देखने को मिलती है। राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है, हम ऐसा समझते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। जब हम यहां पर इस बारे में बात करते हैं तो सब एक मत से बात करते हैं कि किसी भी हालत में राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए और किसी भी राजनैतिक पार्टी को किसी अपराधी आदमी को चुनाव में खड़ा नहीं करना चाहिए, उसे उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस सदन से या उस सदन से उठकर जब वे बाहर जाते हैं और जब चुनाव जीतने का सवाल खड़ा होता है तो हर आदमी, हर पार्टी के लोग यह सोचते हैं कि ऐसी पार्टी का उम्मीदवार

कैसे चुनकर आएगा। इसके सिवाय दूसरा कोई विचार नहीं करते और चुनाव को जीतने के लिए क्या — क्या करना है ऐसी तरकीबें निकालने की कोशिश करते हैं और सब उनका इस्तेमाल करते हैं। यह एक हकीकत है। वैसे तो कानून से कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता लेकिन कानून में ठीक ढंग से प्रावधान करने की आवश्यकता है। आज इसके लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून में बड़ी त्रुटिया हैं, बहुत कमजोरियां हैं। इसके लिए सख्ती की आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए एक बात सोची जा सकती है। अभी राज्य सभा के चुनाव हुए। बहुत सारे सदस्य चुनकर आए हैं। इस चुनाव में जो हमने देखा, अनुभव किया इसको ध्यान में रखकर मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर हमें सोचने की जरूरत है। हमें इस पर ऐसा निर्णय करने की आवश्यकता है कि चाहे राज्यसभा के चुनाव हों, विधान परिषदों के चुनाव हों या उपराष्ट्रपति जी के चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति जी के चुनाव हों, इनके लिए हम शो आफ हैड से चुनाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस पर सोचने की आवश्यकता है ऐसा करने में क्या आपत्ति हो सकती है। ऐसा करने से जो कमजोरी है वह दूर होगी। इसलिए इस विषय में ऐसा कुछ भी सोचने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लग रहा है।

हम अक्सर क्रॉस वोटिंग की बात करते हैं। बहुत सी जगहों पर क्रॉस वोटिंग होती है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये। हम यह भी कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिये। एक तरफ हम यह कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग होती है और दूसरी तरफ हम यहां पर बेलट वोटिंग की बात करते हैं, फिर यह भी कहते हैं कि पार्टी ने व्हिप लगाया है और अगर व्हिप है तो पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब बेलट वोटिंग होता है तो व्हिप लग ही नहीं सकता है। यह भी सब लोगों को बताया नहीं जाता है। इस विषय पर कुछ संशोधन करें, कुछ अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता होगी नहीं तो बेलट ठीक से नहीं चलेगा। मैंने भी एक प्राइवेट मैम्बर्स प्रस्ताव रखा था जो चर्चा के लिए नहीं आ पाया। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो वोटर हमें चुन कर भेजते हैं उनको यह अधिकार होना चाहिये कि अगर हम अपना काम ठीक से नहीं सम्भाल रहे हैं तो हमें वापिस बुला सकें। वोटर के पास अपने प्रतिनिधि को वापिस बुलाने का अधिकार होना चाहिये। कभी-कभी ऐसा होता है कि यहां पर कई सदस्य मनमाने ढंग से बर्ताव करते हैं, सदन में जिस ढंग से बर्ताव करने की आवश्यकता है। उस ढंग से बर्ताव नहीं करते हैं। ऐसे सदस्यों के लिए कुछ बन्दोबस्त किये जाने की आवश्यकता है।

एक बात और करने की आवश्यकता है। डिलिमिटेशन की बात होती है। मैं जहां से आता हूँ वह ठाणे शहर है और ठाणे लोक सभा का चुनाव क्षेत्र है। मैं वहां रहता हूँ। वहां की परिस्थिति ऐसी है जैसे आऊटर दिल्ली की है। आऊटर दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 30 लाख से ऊपर है और हमारे यहां 29 लाख से ज्यादा है करीब 30 लाख तक पहुंच गई है। एक ऐसी जगह ऐसी है जहां 26 हजार मतदाता हैं और दूसरी जगह ऐसी है जहां 30 लाख मतदाता रहते हैं। यह बहुत बड़ा विभेद है। इसे निकालने की आवश्यकता है। सभी जगह पर चुनाव खर्च की सीमा एक जैसी है। मैं यह नहीं कहता कि आप 26 हजार वाला बंद कर दो लेकिन जहां 30 लाख हैं वहां आप कम करो। उसके ऊपर भी वही कंडीशन रहती है कि ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रूपया खर्च कर सकते हैं। यदि 15 लाख रूपयें चुनाव की खर्च की सीमा रहेगी तो 30 लाख वोटर्ज को सम्भालने के लिए, सब को परिचय पत्र भेजना है, सब के पास पहुंचना है, आप किसी भी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश करो,

कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, इतने खर्च में यह काम संभव नहीं हो सकता। इसके लिए वह अकाउंट का एडजस्टमेंट और सब तरीके ढूँढने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिए डिलिमिटेशन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस विषय पर सरकार तुरंत निर्णय करे। जहां तक उम्मीदवार द्वारा खर्च किया जाने का सवाल है, पार्टी द्वारा किये जाने का सवाल है, इसके बारे में भी ठीक से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हमारे यहां आज की तारीख में जो कानून उपलब्ध है, उसमें पार्टी को कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इसके बारे में कोई बन्दोबस्त नहीं है। किस ढंग से यह व्यवस्था हो, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि उम्मीदवार के ऊपर किस प्रकार से खर्च करना है। इसके कारण बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं और चुनाव ठीक ढंग से नहीं होता है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

मैं दो विषय और आपके सामने रखना चाहता हूँ। रिजर्वेशन आफ सीट्स के बारे में फिर से विचार करने की आवश्यकता है। मेरा स्पष्ट कहना यह है कि रिजर्वेशन आफ सीट्स जो आप कर रहे हैं, इस बन्दोबस्त को निकाल देना चाहिये इसके बदले में राजनीतिक पार्टियों के ऊपर बन्धन डालना चाहिये कि वह इतने परसेंट सीट रिजर्व रखें और उन पर ऐसे उम्मीदवार खड़े करें, ऐसा बन्दोबस्त किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कोई सीट शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। परमानेंटली उसी के लिए रिजर्व रहती है। फिर वहां के बाकी सब लोगों के लिए फ्रस्टेशन हो जाता है कि हम वोट देने के लिए क्यों जाएं। वे वोट देने के लिए नहीं जाते हैं।

वे कहते हैं कि हम जितना भी कार्य करेंगे फिर भी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसका सबका ब्लाक हो जाता है। इस विषय पर भी हमें अलग से विचार करने की आवश्यकता रहेगी।

दूसरी बात है कि यहां महिला सदस्य भी है। यहां महिला आरक्षण के लिए बात चलती है। उसके बारे में भी विधेयक आने वाले हैं। मेरा स्पष्ट ऐसा कहना है कि महिलाओं के बारे में यह 33 परसेंट फिगर किधर से आ गया। मैं यह पूरा आदर करते हुए कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत से लोगों से, सदस्यों से बात की है। लेकिन अभी तक कोई भी यह बात नहीं समझा सका कि 33 परसेंट की यह फिगर किधर से आई। किसने तय किया कि 33 परसेंट होना है। आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उनका जितना परसेंटेज है उसके मुताबिक देने का सोचिए फिर यह 50 परसेंट क्यों नहीं है, 48 परसेंट क्यों नहीं है। अच्छी महिलाओं को आगे आने का मौका देना है तो जिस ढंग से वे आना चाहें उनको आने दें। यह 33 परसेंट ही क्यों है?

दूसरी बात इसमें एक और है। हमारा आज तक का अनुभव क्या है। आज महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत से लेकर जगह-जगह पर, सब जगह पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। वहां अनुभव ऐसा होता है कि महिलाएं सिर्फ चेयर पर बैठती हैं। बाकी सारा कारोबार उनके मर्द जो हैं वे देखने की कोशिश करते हैं। इस पर गंभीरतापूर्व विचार करने की आवश्यकता है। यह क्या है? ऐसा क्यों करना है? इसलिए मेरा इधर ऐसा कहना है कि यदि आपका महिलाओं के लिए कुछ करना है तो सब पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर कंडीशन डालिए कि तुम्हारे जितने भी वर्क्स हों उसमें इतनी महिलाएं हों। आप सीट रिजर्व न करें। सीट की तो नरसिंग की जाती है। हम नरसिंग करते हैं अपनी कांस्टीट्यूंसी की। हम उम्मीदवार अपनी कांस्टीट्यूंसी की नार्सिंग करते हैं, कांस्टीट्यूंशन में मेहनत करते हैं। आगे फिर से दुबारा चुनाव में लोगों के सामने मुझे जाकर खड़ा होना है, वोट मांगना है इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ेगा। इस ढंग से वह काम करता है। यह इससे निकल जाएगा। रिजर्वेशन आ गया तो इस समय मेरी यह सीट है, अगले समय मेरी सीट नहीं रहेगी, ऐसा दिल में आता है तब वह अपने वोटों की तरफ, अपने मतदाता क्षेत्र की तरफ नहीं देखता है। ऐसा होता है। म्युनिसिपल चुनाव में ऐसा अनुभव हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। आप पार्टी के ऊपर बंधन डालें, पार्टी को कहें कि इतना परसेंटेज आपको महिलाओं को आरक्षण देना है, इतना परसेंटेज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स

को देना है, सबके लिए इतना देना है। इस ढंग से आप बंदोबस्त करें। ऐसा प्रावधान उसमें करने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) : मान्यवर, वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

सबसे पहले मैं रामदास जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक बर्निंग टॉपिक हैं, नीड आफ द डे हैं, आज की पोलिटिकल सिचुएशन में उसके मुताल्लिक यह रिजोल्यूशन पेश किया है। मैं इसका पूरा, भरपूर समर्थन करता हूँ। लेकिन एक उर्दू का शेर है कि "मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की"। जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा वह बजाए ठीक होने के दिन-ब-दिन नीचे जा रहा है। जो हमारा पहला लोक सभा का या किसी प्रांतीय असेंबली का इलेक्शन हुआ था और जो आज इलेक्शन होते हैं उनका अगर मुकाबला करके देखा जाए तो आपको लगेगा कि हम ऊपर की बजाए नीचे को जा रहे हैं। वे इलेक्शन जितने साफ-सुथरे और जितने डेमोक्रेटिक थे वे जो अब इलेक्शन हो रहे हैं वे उतने डेमोक्रेटिक नहीं हैं, उतने साफ-सुथरे नहीं हैं। यह एक तनजुम की, नीचे जाने की, पाताल में जाने की निशानी है। यह किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए जितनी जल्दी इसकी तरफतवज्जह दी जाए वह जरूरी है। आज आप बात करते हैं आम लोगों की। जब वे इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं या जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वे इलेक्शन लड़ती हैं जो-जो हथकंडे अपनाए जाते हैं उनका सारा एक ही मकसद है। हाउ तु कैप्चर पावर एण्ड व्हेन दे कैप्चर पावर, उनका दूसरा मकसद एक ही है, हाऊ टु रिटेन दैट पावर। इस विशियस सर्कल में कायम रखने के लिए जो भी कर सकता है उसमें कोई नैतिक मूल्य, अखलाकी कट्टे, अखलाकी मापदंड, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। जब आप अंदाजा लगा लीजिए असेबलियों के मैबर्स जब राज्य सभा के लिए वोट दें और एक — एक वोट की कीमत 20-20 लाख लगाई जाए और खुले आम नीलामी हो तो यह सोचने की बात है कि हमारा पालिटिकल सिस्टम कहां आकर खड़ा हो गया है। जो लोग देश को चलाने के जिम्मेदार हैं, अब जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाए, तो वह जो कहते हैं कि "बागवां बन के उठे और चमन बेच दिया" जिन लोगों ने इस मुल्क के इलेक्शन कराने हैं उनकी पार्टियों का यह हाल हो, उनका मैबर्स का यह हाल हो, उनकी वार्किंग यह हो कि पाँवर कैप्चर करने के लिए पैसा भी दो, शराब भी दो, लोगों को करप्ट भी करो

और उसके बाद ईमानदारी के लैक्चर भी दें तो यह कैसी पोलिटिकल विल है जिससे कि आप इलेक्टोरल रेफार्म्स करने जा रहे हैं या तो हम सिंसीयर नहीं हैं या हम सीरियस नहीं हैं या हमारे अंदर पोलिटिकल विल नहीं है? क्या बात है कि 50 साल से इस बात का जिक्र हो रहा है और नतीजा वही "ढाक के तीन पात" है और बजाय सिचुएशन सुधरने के, इंप्रूव करने के यह बद से बढ़कर होती जा रही है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है, दे टेक रूट दूसरे मुल्कों में जो एडवांस कंट्रीज हैं। जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर आप नजर दौड़ा कर देखिए विद द पैसेज ऑफ़ टाइम वहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मतबूत होती हैं। डेमोक्रेसी की जो जड़े हैं वे और मजबूत होती हैं और सिस्टम ऐसा निखर कर आता है कि वहा कभी ऐसी माल प्रैक्टिसस का हम जिक्र भी नहीं सुनते, जिस किस्म का जिक्र आज हम इस सदन में कर रहे हैं और इस देश में देख रहे हैं। They mean business. They are sincere to this concept of democracy. इसका मतलब है जब तक हम सिंसीयर नहीं होंगे, जब तक हमारी इसके ऊपर एक निष्ठा नहीं होगी तब तक सिर्फ यह हमारा स्लोगन है, एक नारा है। जब तक यह हमारा ईमान नहीं होता, तब तक ये सारे लैक्चर, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है और न कोई अर्थ निकला है। जो डेमोक्रेसी है इट इज ए वे ऑफ़ लाइफ़ यह नारा नहीं है और उसके लिए You have to strengthen the democratic institutions. But, instead of strengthening, we are killing the democratic institutions one by one. We raise slogans that we want good democracy, sound democracy, grassroot democracy. What is this? We say something and do something else. अगर हमारी सरकार या जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, अगर वे इस सिस्टम को सुधारना चाहे कोई आदमी यह कहना चाहे कि इस सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता तो Nobody is sincere about it. We are playing with the whole nation. मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि लोगों का यह एतकाद हो गया है, लोगों का यह सोच हो गया है, लोग ऐसा समझने लग गए हैं कि यह जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है इट इज नॉट डिलिवरिंग द गुड्स और जब लोगो का इस सिस्टम पर एतबार खत्म हो गया तो फिर कौन सा सिस्टम आएगा, इस सिस्टम के बाद कौन सा सिस्टम आएगा? सिवाय अनार्की के मुझे तो और कोई सिस्टम नजर नहीं आता। अनार्की का मतलब है, जिस देश को बड़ी मेहनतों से हमारे शहीदों की कुरबानियों ने एकता में जोड़ा और आजाद करवाया है फिर वही विनाश की तरफ चला जाएगा। तो मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता जो मेरे दोस्तों ने कही हैं की क्या-क्या सुधार होने चाहिए।

क्या-क्या कमियाँ हैं, किस तरीके से दूसरी चीजों का जिक्क उन्होंने किया बड़े विस्तार से जिक्क किया, मैं एक मूल मंत्र जो इसको ठीक करता है, उसकी तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूँ कि आर वी सिरीयर एबाउट वट वी आर सेइंग, क्या हम डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं या डेमोक्रेसी के नाम पर ताकत पर कब्जा करके और उस ताकत को रिटेन करने के लिए, सारे गुनाह दुनिया के तख्ते पर हैं, वे करने के लिए तैयार हैं? मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी इस देश पर कब्जा नहीं कर सकता है। कम से कम जब डेमोक्रेसी का बीज बोया गया है तो कोई पैसे की ताकत कब्जा नहीं कर सकती। हम ने इस मुल्क में देखा है कि लोग बड़े ताकतवार थे, लेकिन जब लोगों ने फैसला किया कि इन को नीचे उतारना है तो तारीख इस बात की गवाह है कि वह ताकत नहीं रही। लेकिन यह कभी-कभार होता है और फिर दरिया उसी तरह से उल्टे रूख चलना शुरू कर देता है। इस उल्टे रूख चलने से निकलने के बारे में हमें सोचना है।

सर, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का अपना कोई ऑपरेटस नहीं है और वह सरकार पर डिपेंड करता है, राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है। जिस पार्टी की सरकार होती है या जिस का डंडा उस की भेंस वाली बात चलती है और सरकारी मशीनरी का चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने हक में डटकर इस्तेमाल करती है, मुझे यह कहने में कोई गिला नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। तो यह जो छोटी पॉलिटिक्स हैं या छोटी सोच हैं ताकत कब्जा करने के लिये, देश को मजबूत बनाने की, इसे खत्म करना होगा क्योंकि जिस दरख्त पर बैठे हो, उसी को काट दो या उस की जड़ों को खोखला कर दो, तो आप आज नहीं तो कल जरूर गिरोगे।

मैं इस देश की सब से बड़ी पंचायत के सामने दिल खोलकर कहना चाहता हूँ कि "पॉज एंड थिंक" रूकिए और सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं? आज राज्य सभा के इलेक्शन में हम कहां-से-कहां पहुंच गए हैं? हम कहां खड़े हैं? हमारे एम.एल.एज./एम.पीज., राज्य सभा के एम.पीज. और हम सारे इस एल्योरमेंट या पैसे की लालच में आ जाते हैं। तो हम अपने देश की तरक्की के लिए या देश को ऊंचा करने के लिए क्या कर रहे हैं?

वाइय चैयरमैन साहब, जिस देश में अनपढ़ता हो, जिस देश के लोगों को वोट का मतलब पता न हो, जिन्हे पता नहीं है उन का केंडीडेट कौन है, जिस देश के लोग वोट डालने जाएं तो जूते बाहर उतारकर जाएं-मेरा मतलब है कि उन्हें एजुकेट करने के लिए आज क्या

किया जा रहा है? आप की मर्जी कर लीजिए इस का कोई शॉर्ट-कट नहीं है। इस का सिर्फ एक ही तरीका है-

By educating the people, you make them aware of their rights. Then they can resist violation of their rights. It will be a right beginning of the democratic process.

लोग अपने हकों का इस्तेमाल करें और जो उन का वॉयलेशन करे, उन को रेसिस्ट करें यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पहला लेसन है जिसे हमें लोगों को सिखाना है। वाइस-चैयरमैन साहब, आप ने कहा कि मैं इसे खत्म करूँ तो मैं आप के हुक्म की तामील करता हूँ और देश की सब से बड़ी पंचायत से दरखास्त करना चाहता हूँ कि छोटे-छोटे लेवल की सोच कि हम किस तरीके से सत्ता में रह सकते हैं, इस नजरिए से ऊपर उठकर कि

we must capture power, we must win power and we must retain that power, We must come out of the vicious circle if we want to strengthen the democratic system. Electoral reforms will automatically follow suit. This is my submission.

† شری ویریندر کٹاریہ "پنجاب": مانیور، وائس چیئرمین

صاحب، میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔

سب سے پہلے میں رام داس جی کو بہت بہت

بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک برننگ ٹاپک ہے،

'نیڈ آف دی ڈے' ہے، آج کی پولیٹیکل سچوایشن میں اس کے

متعلق یہ رزولوشن پیش کیا ہے۔ میں اس کا پورا، بھرپور

سمرتہن کرتا ہوں۔ لیکن ایک اردو کا شعر ہے کہ مرض بڑھتا گیا

جو جوں دوا کی جو الیکٹورل سسٹم ہے ہمارا وہ بجائے

ٹھیک ہونے کے دن بہ دن نیچے ہی جا رہا ہے جو ہمارا پہلا لوک سبھا کا یا کسی پرانے اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا اور جو آج الیکشن ہوتے ہیں ان کا اگر مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو آپکو لگے گا کہ ہم اوپر کے بجائے نیچے کو جا رہے ہیں۔ وہ الیکشن جتنے صاف ستھرے اور جتنے ڈیموکریٹک تھے یہ جواب الیکشن ہو رہے ہیں یہ اتنے ڈیموکریٹک نہیں ہیں، اتنے صاف ستھرے نہیں۔ یہ ایک تنزل کی، نیچے جانے کی پاتال میں جانے کی نشانی ہے۔ یہ کسی قوم کے لئے، کسی ملک کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسلئے جتنی جلدی اسکی طرف توجہ دی جائے وہ ضروری ہے۔ آج آپ بات کرتے ہیں عام لوگوں کی۔ جب وہ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں یا جو پالیٹیکال پارٹیز ہیں وہ الیکشن لڑتی ہیں جو جو، تھکڈے اپناٹے جاتے ہیں ان کا سارا ایک ہی مقصد ہے۔ "ہاؤ ٹو کیپچر پاور اینڈ وہین دئے کیپچر پاور، ان کا دوسرا مقصد ایک ہی ہے، "ہاؤ ٹو ریٹن دیٹ پاور"۔ اس ویشیش سرکال میں قائم رکھنے کے لئے جو بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی نیتک مولیہ، اخلاقی قدریں، اخلاقی ماپڈنڈ، اسکی کسی کو

کوئی فیکر نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے اسمبلیوں کے ممبر راجیہ سبھا کے لئے ووٹ دیں۔ اور ایک ایک ووٹ کی قیمت بیس بیس لاکھ لگائی جائے، اور کھلے عام نیلامی ہو تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کہاں آکر کھڑا ہو گیا۔ جو لوگ دیش کو جلانے کے ذمہ دار ہیں، اب جب بازہ ہی کھیت کو کھانے لگ جائے، وجوہتے ہیں کہ:

"باغبان بن کے اٹھے اور چمن بیچ دیا"

جن لوگوں نے اس ملک کے الیکشن کرانے ہیں ان کی پارٹیوں کا یہ حال ہو، ان کے ممبرس کا یہ حال ہو، ان کے ورکنگ یہ ہو کہ پاور کیپچر کرنے کے لئے پیسہ بھی دو، شراب بھی دو، لوگوں کو کرپٹ بھی دو، اور اس کے بعد ایمانداری کے لیکچر بھی دیں۔ تو یہ کیسی پالیٹیکل ول ہے۔ جس کے آپ الیکٹورل ریفارم کرنے جا رہے ہیں یا تو ہم سنسٹر نہیں ہیں، یا ہو سیریس نہیں، یہ ہمارے اندر پالیٹیکل ول نہیں ہے۔ کیا بات ہے کہ پچاس سال سے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے اور نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات ہے۔ او رجائے سچوایشن سدھرنے کے، امپروو کرنے کے یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیموکریٹک

پروسس

چلتا ہے۔ "دے ٹیک روٹ" دوسرے ملکوں میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں آپ نظر ڈوڑا کر دیکھئے۔ "وددہ پیج آپ ٹائم" وہاں پر ڈیموکریٹک انسٹی ڈیوشنس مضبوط ہوتی ہیں۔ ڈیموکریسی کی جو جڑیں ہیں وہ اور مضبوط ہوتی ہیں اور سسٹم ایسا نکھر کر آتا ہے کہ وہاں کبھی ایسی مال پریکٹسز کا ہم ذکر بھی نہیں سنتے ہیں۔ جس قسم کا ذکر آج ہم اس سدن میں کر رہے ہیں اور اس دیش میں دیکھ رہے ہیں:

They mean business. They are sincere to this concept of democracy.

† اس کا مطلب ہے جب تک ہم سینسٹر نہیں ہونگے، جب تک ہماری اسکے اوپر ایک نشٹھا نہیں ہوگی تب تک یہ صرف ہمارا اسلوگن ہے، ایک نعرہ ہے۔ جب تک یہ ہمارا ایمان نہیں ہوتا تب تک یہ سارے لیکچر، یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں اسکا کوئی ارتہ نہیں ہے، نہ کوئی ارتہ نکلا ہے۔ جو ڈیموکریسی ہے "اٹ از وے آف لائف" یہ نعرہ نہیں ہے اور اس کے لئے:

You have to strengthen the democratic institutions. But, instead of strengthening, we

are killing the democratic institutions one by one. We raise slogans that we want good democracy, sound democracy, grassroot democracy. What is this? We say something and do something also.

† اگر ہماری سرکار یا جن لوگوں کے ہاتھ میں ستہ ہے اگر وہ اس سسٹم کو سدھارنا چاہیں کوئی آدمی یہ کہنا چاہے کہ اس سسٹم کو سدھارا نہیں جا سکتا تو:

Nobody is sincere about it. We are playing with the whole nation.

میں آپکو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا یہ اعتقاد ہو گیا ہے، لوگوں کا یہ سوچ ہو گیا ہے، لوگ ایسا سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے "اٹ از نوٹ ڈیلیوری دی گزس" اور جب لوگوں کا اس سسٹم پر اعتبار ختم ہو گیا تو پھر کون سا سسٹم آئیگا، اس سسٹم کے بعد کون سا سسٹم آئیگا۔ سوائے انارکی کے مجھے تو اور کوئی سسٹم نہیں آتا۔ انارکی کا مطلب ہے جس دیش کو بڑی محنتوں ہمارے شہیدوں کی قربانیوں نے ایکٹا میں جوڑا اور آزاد کر لیا ہے پھر وہی وناش کی طرف چلا جائیگا۔ تو میں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا جو میرے دوستوں نے کہی ہیں کہ کیا کیا سدھار ہونے چاہئیں، کیا کیا کمیاں ہیں، کس طریقے سے دوسری

† [] Transliteration in Arabic Script

چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا۔ بڑے دستار سے ذکر کیا، میں ایک مول منتر جو اسکو ٹھیک کرتا ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ "آروی سینئر" بٹ وی آر سینئر، کیا ہم ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا ڈیموکریسی کے نام پر طاقت پر طاقت پر قبضہ کر کے اور اس طاقت کو ریٹین کرنے کے لئے، سارے گناہ دنیا کے تختے پر ہیں وہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی اس دیش پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ کم سے کم جو ڈیموکریسی کا بیج بویا گیا ہے تو کوئی پیسے کی طاقت قبضہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ لوگ بڑے طاقت ور تھے لیکن جب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انکو نیچے اتارنا ہے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ طاقت نہیں رہی۔ لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور پھر دریا اسی طرح الٹے رخ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس الٹے رخ چلنے سے نکلنے کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔

سر، ہمارے دیش میں الیکشن کمیشن کا کوئی آپریٹس نہیں ہے۔ اور وہ سرکار پر ڈپینڈ کرتا ہے، راجیہ سرکاروں پر ڈپینڈ کرتا ہے، جس پارٹی کی سرکار

ہوتی ہے یا جس کا ڈنڈا اسکی بھینس والی بات چلتی ہے اور سرکاری مشینری کا چاہے کوئی بھی پارٹی ہوائے حق میں ڈنڈا استعمال کرتی ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی گلا نہیں، کوئی افسوس نہیں، تو یہ جو جھوٹی پالیٹکس ہے یا جو جھوٹی سوچ ہے طاقت قبضہ کرنے کیلئے، دیش کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنی پارٹی یا اپنے آپ کو مضبوط بتانے کی، اسے ختم کرنا ہوگا۔ کیوں جس درخت پر بیٹھے ہو اسی کو کاٹ دو یا اسکی جڑوں کو کھوکھلا کر دو، تو آپ آج نہیں تو کل ضرور کرو گے۔

میں اس دیش کی سب سے بڑی پنچایت کے سامنے دل کھول کر کہنا چاہتا ہوں کہ "پوز اینڈ ٹھنگ" رکھے اور سرچئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں آج راجیہ سبھا کے الیکشن میں ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ایم ایل ایز، ایم پیز، راجیہ سبھا کے ایم پیز ہم سارے اس ایلپورمنٹ یا پیسوں کے لالچ میں آجاتے ہیں، طاقت کے لالچ میں آجاتے ہیں۔ تو ہم اپنی دیش کی ترقی کے لئے یا دیش کو اونچا کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں۔

وائس چیئر مین صاحبہ، جس دیش میں
ان پڑھتا ہو، جس دیش کے لوگوں کو ووٹ کا مطلب
پتہ نہ ہو، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا امید وار کون ہے،
جس دیش کے لوگ ووٹ ڈالنے جائیں تو جوتے باہر
اتار کر جائیں، میڈا مطلب ہے کہ انہیں ایجوکیٹ کرنے
کے لئے آج کیا کیا جا رہا ہے، آپ جو مرضی کر لیجئے
اسکا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا صرف ایک ہی
طریقہ ہے۔

By educating the people, you make them aware of their rights. Then they can resist violation of their right. It will be a right beginning of the democratic process.

لوگ اپنے حقوق کا استعمال کریں، اور جو ان کا
وائلیشن کرے انکو ریست کرے، یہ ڈیموکریٹک پروسیس
کا پہلا لیسن ہے جسے ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے۔

وائس چیئر مین صاحب، آپ نے کہا کہ میں اسے
ختم کروں تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور دیش
کی سب سے بڑی پنچایت سے درخواست کرتا ہوں کہ
چھوٹے چھوٹے لیول کی سوچ کہ ہم کس طریقے سے
میں سے سکتے ہیں اس نظریے سے اوپر اٹھ کر:

We must capture power, we must win power and we must retain that power. We must come out of the vicious circle if we want to strengthen the democratic system. Electoral reforms will automatically follow suit. This is my submission.

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश) : वाइस-चैयरमेन सर, मैं सब से पहले रामदास अग्रवाल जी को मुबारकबाद दूंगा कि वह एक ऐसे इश्यू पर रिजोल्यूशन लाए जिस की आज वाकयी जरूरत हैं। यूं तो इलेक्टोरल रिफार्म्स पर हमारे मुल्क में बहुत दिनों से बहस चल रही हैं और जितनी-जितनी बहस हो रही हैं उतने ही हमारा सिस्टम दिन-ब-दिन खराब हो रहा हैं। हमारी बदकिस्मती यह हैं कि जिस माहौल में, हम सियासत में आए और जिन लोगों से हमारे ताल्लुक रहे, उन से हम ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन पिछले 10-15 सालों से जिस सियासत को हम करीब से देख रहे हैं, उस से कभी-कभी दिल चाहता हैं कि पॉलिटिक्स छोड़कर, सियासत छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहिए।

मेरा मानना यह हैं कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी, कोई भी रेशनल आदमी, कोई भी डेमोक्रेसी में सही मायनों में बिलीव करने वाला आदमी, कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी सच्चा आदमी, कमिटेड आदमी, किसी भी आइडोलोजी का हो, उसका सर्वाइकल पोलिटिक्स में बहुत मुश्किल हो गया हैं और खासतौर से जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम हैं उसमें।

वाइस चैयरमेन साहब, एक जमाना था, आप 1952 का इलेक्शन देख लीजिए, 1957 का, 1962 का, 1967 का इलेक्शन देख लीजिए, उस समय जो एम.एम.ए. और एम.पी. हुआ उनकी इकोनोमिक कंडीशन क्या थी मैम्बर बनने से पहले और मैम्बर बनने के बाद? आज बकिस्मती यह हैं कि जब एम.एम.ए. और एम.पी. कोई इलेक्ट होकर आता हैं तो उसकी इकोनोमिक कंडीशन मैम्बर बनने से पहले कुछ होती हैं और मैम्बर बनने के बाद कुछ दूसरी हो जाती हैं। इसीलिए मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि आज हमें ईमानदारी के साथ यह सोचना पड़ेगा कि हम अपने इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे सही करें। सियासत में एक जमाना था कि कोई मसल पावर वाला आदमी, कोई करप्ट आदमी, गुंडा, क्रिमिनल किसी पोलिटिसिय के घर नहीं जा सकता था और पिछले बीस सालों के अंदर क्रिमिनल या करप्ट आदमी किसी पालिटिसियन के घर जाता था तो दिन में नहीं, रात में जाता था। करप्ट और क्रिमिनल ने सबसे पहले पोलिटिसियन की कमजोरियां मालूम की। उसने कहा-अच्छा, आप हमारी मसल पावर के जरिए एम.एम.ए. और एम.पी. बनते हैं, आप हमारे

पैसे के जरिए एम.एल.ए. और एम.पी. बनते हैं। फिर उसने पोलिटिसियन की कमजोरी मालूम करके आपको कुछ देना चाहा। जब आपको कुछ मिल गया तो फिर आपने उसे टिकट के लिए कोशिश की और जब आपने उसके टिकट के लिए कोशिश की तो वह पार्टी के नाम पर इलेक्ट होकर आ गया, एम.एल.ए. और एम.पी. बना। जब वह एम.एल.ए. और एम.पी. बना तो उसे यह हुआ कि हमने तो खर्च किया था, अब हम खर्चा कैसे निकालेंगे। फिर उसने खर्चे निकालने के रास्ते तलाश किए। जब उसने खर्चे निकालने के रास्ते तलाश किए वाइस चैयरमैन साहब तो सिस्टम में खराबियां पैदा हुईं

वाइस चैयरमैन साहब, आज हमें ईमानदारी के साथ सोचना होगा कि यह जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है, जिसमें हमने 50 साल पूरे किए हैं। इस हाऊस में स्पेशल सेसन भी हुआ और उस स्पेशल सेसन में इस संबंध में काफी डिबेट भी हुई, लेकिन उस डिबेट के बाद भी इस सिस्टम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। इस सिस्टम को खराब करने के लिए कोई जिम्मेदार हैं तो मेरा मानना है कि वह तमाम पोलिटिकल पार्टी हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तमाम पोलिटिकल पार्टी इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता खराब कर रही हैं। मुझे डर इस बात का नहीं है कि हम बाहर हैं या अन्दर हैं, मुझे डर यह है कि अब अगले पचास सालों में किस किस्म की डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में रहेगी। क्या इस मुल्क में करप्ट और क्रिमिनल राज करेंगे या इस मुल्क को पोलिटिकल पार्टी सही मायनों में कोई राह दिखा पाएंगी? आज पोलिटिकल पार्टियों को यह सोचना होगा कि वे किस किस्म के लोगों को एडोप्ट कर रही हैं। पोलिटिकल पार्टी, जो उसका डेडीकेट काडर है, जो उसका कमिटेड काडर है, मैं लेफ्ट को छोड़कर बात कर रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेफ्ट में अभी थोड़ा बहुत उसकी आंख में लिहाज है(व्यवधान).... सर, मैं दिल से बोल रहा हूँ कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ। यह मेरी आखिरी तकरीर है इस हाऊस में, मैंने बहुत सियासत कर ली, अब मैं दिल से बात कर रहा हूँ।

कुमारी उमा भारती : आप इधर भी तारीफ कर दीजिए।(व्यवधान)....

श्री वसीम अहमद : मैंने रामदास जी की तारीफ की है (व्यवधान) उमा जी की तारीफ मैं बाद में करूंगा, अभी उनका काम देखूंगा पहले।(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : वसीम जी, आप कनक्ल्यूड कीजिए।

श्री वसीम अहमद : अभी कनक्ल्यूड कैसे करूँ?(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : तो फिर बोलिए अपनी बात।

श्री वसीम अहमद : मैं यह कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ हमें अपने सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। और ईमानदारी के साथ हमें यह देखना चाहिए कि आज हम लोक सभा में किस किस्म का स्टाफ भेजे रहे हैं और मुझे डर लोक सभा का नहीं है, अब तो मुझे राज्य सभा में भी डर लगा रहा है। अभी यू.पी. में इलेक्शन हुए हैं राज्य सभा के लिए और यू.पी. में ही नहीं कई जगह इलेक्शन हुए हैं, हर जगह लोगों के खुले रेट थे — एमएलए 10 लाख, 25 लाख, ये रेट थे लोगों के। आज इस हाऊस में लोग मैम्बर चुनकर आए हैं और वे ऑनरेबल मैम्बर होंगे इस हाऊस के, मुझे डर इसका नहीं है। मुझे डर यह है कि कभी इस मुल्क में अगर ऐसा वक्त आ गया कि प्रेजीडेंट और वाइस प्रेजीडेंट का इलेक्शन हुआ और नैक-टू-नैक हो गया, तो उस वक्त अगर एम.पी. बिकेगा तो मालूम होगा कि प्रेजीडेंट और वाइस प्रेजीडेंट के इलेक्शन के लिए करोड़ों रूपए चलेंगे। मुझे डर उस दिन का भी है। आज तमाम पोलिटिकल पार्टीज को ईमानदारी के साथ पूरे सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। अभी कोई कायदे का व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए लोक सभा के लिए तो उसके पास पैसा नहीं है। मालूम हुआ कि जो पैसा पार्टी-फंड से मिला, वही उसके पास है और वह दो गाड़ियों नहीं ले सकता। हम जो स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा इतना खर्च है, लेकिन जरा बाहर लोगों से पूछिए इस बारे में। लोग कहते हैं, कोई कहता है कि एक करोड़ खर्च किया है, कोई कहता दो करोड़ खर्च किए हैं, कोई कहता है पांच करोड़ खर्च किए हैं, कोई कहता है 50 लाख खर्च किए हैं, लेकिन एवरेज खर्च 25 लाख और 50 लाख के बीच में आता है, यह आप किसी से भी मालूम कर लें। अब अगर हमारे अंदर यह हिप्पोक्रेसी होगी तो आप ईमानदारी से बताइए कि हम लोग जो इस पॉलिटिक्स में अपनी आवामी जिन्दगी गुजारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, तो यह कैसे हो सकेगा? सलीम साहब ने सही कहा कि मैं कुर्ता-पजामा ट्रेन में नहीं पहनता हूँ क्योंकि कुर्ते-पजामे वाले लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाइयो, अगर आपको अपने बारे में सही राय मालूम करनी है तो पैट-शर्ट में रहिए थोड़े दिन। यही नहीं, हमारे मुल्क में जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम खराब हुआ है, इस पूरे सिस्टम से करप्शन बढ़ी है — एजुकेशन में करप्शन है, हर जगह करप्शन है, पब्लिक लाइफ में करप्शन है। तो कैसे अच्छे#

लोग इलेक्ट होकर आएंगे, कैसे कमिटीड लोग इलेक्ट होकर आएंगे?

मैं रामदास जी, आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं इस पूरे हाउस में दरखास्त करता हूँ कि कटारिया साहब ने जो बातें रखी हैं, आप इनको रिव्यू करें और ईमानदारी के साथ ऐसा इलेक्टोरल बिल लाएं जिससे इस मुल्क की डेमोक्रेसी बचे और इसमें अच्छे और बेहतर लोग आ सकें और पार्लियामेंट की डिबेट का स्टैंडर्ड बढ़े दोनों हाउसिस का, यही मेरी खाहिश है।

आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): Mr. Vice-Chairman, if I may point out, the issue of comprehensive electooral reforms was before this House more than once.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Could the Government explain why the Law Minister is not present here to reply to the debate?

SHRI MD. SALIM (West Bengal): I know that he is Minister of Power, but we are discussing about misuse of power in the electoral process.

SHRI R. KUMARAMANGALAM: The hon. Law Minister contacted me in the morning. He could not make it today. He made a request to me, since this matter was coming up, that I should, on his behalf,(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please speak one by one.

SHRI VIDUTHALAI (VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, it is already five o'clock. Can this be continued next fortnight?

VICE CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Eight minutes are there.

SHRI VIDUTHALAI VIRUMBI: I think it can be continued next fortnight.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Another eight minutes are there.

SHRI MD. SALIM: Has the Secretariat or the Chairman received a request from the Law Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I am just enquiring about it.

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, this can be carried to another day. ... (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I am enquiring from the Secretariat.

5 P.M.

SHRI RAMDAS AGARWAL (Rajasthan) Sir, I submit let the Hon. Minister....

उपसभाध्यक्ष : वह चिट्ठी आगे आने दीजिए ना। लॉ मिनिस्टर की जो चिट्ठी आई है, वह मैं देख रहा हूँ।

श्री मोहम्मद सलीम : यह तमिलनाडु से चिट्ठी वाला मामला तो हमेशा लगा रहेगा।

श्री माननीय सदस्य : तमिलनाडु से चिट्ठी आने में टाईम लगता है।

कुमारी उमा भारती : आ जाती हैं, हर बार आ जाती हैं।

SHRI R. KUMARAMAN GALAM: Sir, I would not stand up to speak without authority. That I can assure. *Chitthi* will come.

SHRI VIDUTHALAI S. VIRUMBI: Sir, some more Members want to speak on the subject.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): First let me get clarification about the letter, about the point of order raised. I am enquiring about the letter. Unless and until it is there...

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Sir, to the best of my knowledge the letter has been set to the Chairman, Rajya Sabha by the hon. Minister for Law, Shri M. Thambi Durai, and a copy of it has been endorsed to the Minister of Parliamentary Affairs and a copy to me. Therefore, by now it should have come here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): So, it has been sent to the Chairman.

SHRI MD. SALIM: Sir, it is a collective responsibility. If the other Minister is piloting instead of the Law Minister, I do not have any objection. The question is that the secretary have received it in advance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Let us believe what the hon. Minister has stated.

SHRI R. KUMARAMANGALAM: I can produce the copy endorsed to me. The copy that should be with the Chairman, Rajya Sabha, I cannot produce.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): That is all. Mr Minister, you can go ahead now.

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Sir, if another Member wants to speak on the subject, he should be permitted to speak.

SHRI VIDUTHALAI S. VIRUMBI: Sir, it is 5 O'clock now. Some more Members want to speak on it. Why can't you extend the time?

SHRI MD. SALIM: This is a good proposal.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I have no objection. But, Sir this was discussed earlier. Actually the Members, who were allotted time for the next day, their time goes. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Let us go one by one. It has been stated by the Minister that so far as this Resolution is concerned, he was going to reply. Prior to that there was no other Member left to speak. (*Interruptions*) Please do not speak without taking my permission. I am settling the matter.

जब किसी का नाम लिस्ट में नहीं था तो मैंने मिनिस्टर को जवाब देने के लिए कहा। जब मिनिस्टर ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं और बोलना शुरू कर दिया है तो आप बोल रहे हैं कि मिनिस्टर की एंथोरिटी है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे?

I am not going to allow. When I have already asked the Minister to reply, I am not going to adjourn the discussion on the Resolution. I have already called the Minister. Mr Minister, please.

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Sir, a couple of things need to be cleared despite the Chair's ruling on the matter.

One is, it is not the first time that I am in this House as a Minister. Normally when the Minister says he has been requested and a communication has been sent, written proof is never normally asked for, because we are taken on our face value. But, however, I note that there is a new etiquette coming into being. Therefore, a written proof has been introduced.

I am sorry, but this is the situation. Therefore, I would rather go to the points. Some more Members have sought an opportunity to speak on this important matter. If they want to do so, I am willing to wait and intervene the next day because after I complete my intervention, normally, the procedure is that the Mover of the Resolution replies. Therefore, if any other Member feels, if Chair feels...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, I have not allowed him.

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Okay, Sir. If I may point out, the Mover of the Resolution, Shri Ramdas Agarwalji, has very clearly stated a few points which I would like to clarify.

SHRI NARENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir it is just a request. Our new Member wants to speak. After all, only one minute is left.

SHRI MD. SALIM: He is a new Member. He is an old Member of this House.

SHRI VIDUTHALAI S. VIRUMBI: If the House desires, we can continue the debate on the Resolution.

..(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please allow the House to function.

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Among the points that have been raised, the hon. Mover of the Resolution has raised comprehensively various points. The first of the important points which he has raised is donations to political parties by companies and other persons. He has suggested that it should be made through a cheque and persons giving donations should not be harassed by the Income Tax Department. Earlier this issue was considered by the Dinesh Goswami Committee. They favoured a complete ban on donations by companies. This issue was linked to the State funding of elections which was an issue to be considered. The Committee on State Funding of Elections is headed by Shri Indrajit Gupta, hon. Member of the other House. This Committee is examining the issue of State funding of elections and other related matters. They would be making their recommendations by the end of August, 1998. Thereafter the recommendations made by the Committee would be put up before an all-party forum, leaders of all political parties. I can assure the House and hon. Members that suggestions made by the Member would be kept in view when a decision is taken on this issue.

He also suggested that if a person elected on the ticket of a party decides to leave that party, then, his seat should be treated as automatically vacated. This is a provision that deals with anti-defection law. At the present

moment, the situation in the anti-defection law does not need to be spelt out. But this would have to be dealt with not really as part of the electoral reform process, but more as part of the anti-defection law which is a post-electoral reform process.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Minister, your time is

over. The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 6th July, 1998.

The House then adjourned at eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 6th July, 1998.